CHAPTER- 3 POLICE PROCEDURE
Module B-5 (Session- 24)
Paper- 12A - Ethics and Ethical Behavior

➢ **नैतिकता एवं नैतिक व्यवहारः–**

नैतिकता (Ethics) और नैतिक व्यवहार हमारे समाज की नींव हैं। यह केवल सही और गलत के बीच का अंतर नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र और जीवन जीने के तरीके को परिभाषित करता है।

➢ **नैतिकता (Ethics) क्या है?**

नैतिकता उन सिद्धांतों और मूल्यों का समूह है जो हमें यह बताते हैं कि समाज में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं।

✔ **सत्यनिष्ठा (Integrity)-** अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, भले ही कोई देख न रहा हो।

✔ **न्याय–** सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना और बिना किसी भेदभाव के निर्णय लेना।

✔ **उत्तरदायित्व** अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी खुद लेना।

✔ **परोपकार–** दूसरों के कल्याण के लिए सोचना और स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना।

✔ **उत्तरदायित्व (Accountability)–** अपने निर्णयों और उनके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेना। बहाने न बनाना।

✔ **निष्पक्षता (Fairness)–** बिना किसी पूर्वाग्रह, जाति, धर्म या लिंग के भेद के सभी के साथ समान व्यवहार करना।

✔ **सम्मान (Respect)–** स्वयं का और दूसरों का, दोनों का आदर करना। इसमें दूसरों की सीमाओं (Boundaries) का ध्यान रखना भी शामिल है।

✔ **समानुभूति (Empathy)–** दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना। यह किसी भी नैतिक व्यवहार का हृदय है।

➢ **नैतिकता का महत्व**

हमारे जीवन में नैतिकता का होना क्यों अनिवार्य है?

✔ **विश्वास का निर्माण–** नैतिक व्यवहार से समाज और कार्यस्थल पर लोगों के बीच भरोसा बढ़ता है।

✔ **मानसिक शांति–** जब हम सही काम करते हैं, तो हमें आंतरिक संतुष्टि और गर्व महसूस होता है।

✔ **बेहतर निर्णय क्षमता–** नैतिक मूल्य हमें कठिन परिस्थितियों में सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं।

✔ **सामाजिक सामंजस्य–** यह संघर्षों को कम करता है और समाज में शांति बनाए रखता है।

➢ **कार्यस्थल पर नैतिकता (Professional Ethics)**

आज के दौर में पेशेवर दुनिया में भी नैतिकता बहुत जरूरी हैः–

✔ **गोपनीयता–** कंपनी या क्लाइंट की निजी जानकारी को सुरक्षित रखना।

✔ **समय की पाबंदी–** अपने काम को निर्धारित समय पर पूरा करना।

✔ **टीम वर्क–** सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना और उनकी सफलता का श्रेय उन्हें देना।

✔ **याद रखें–** नैतिकता वह है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता।

➢ **राष्ट्रीय एकता और भ्रष्टाचार**

➢ **राष्ट्रीय एकता (National Unity)**

राष्ट्रीय एकता का अर्थ है एक राष्ट्र के निवासियों के बीच प्रेम, भाईचारा और संगठन की भावना, चाहे उनकी जाति, धर्म या भाषा अलग क्यों न हो।

✔ **सांस्कृतिक एकीकरण–** भारत जैसे विविध देश में अलग–अलग संस्कृतियों का सम्मान करना और उन्हें एक सूत्र में पिरोना।

PTC Khenwara

✔ **समान नागरिक अधिकार–** संविधान द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देना एकता का आधार है।

✔ **सांप्रदायिक सौहार्द–** विभिन्न धर्मों के बीच आपसी समझ और शांति बनाए रखना।

✔ **राष्ट्र प्रथम की भावना–** व्यक्तिगत या क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठकर देश के हित को सर्वोपरि रखना।

✔ **महत्व–** यह देश को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों से बचाने के लिए अनिवार्य है।

➢ **भ्रष्टाचार (Corruption)–**

भ्रष्टाचार का अर्थ है निजी लाभ के लिए अपने पद, शक्ति या संसाधनों का दुरुपयोग करना। यह समाज के नैतिक पतन का सूचक है।

✔ **स्वरूप–** इसके मुख्य रूप रिश्वतखोरी, भाई–भतीजावाद (छमचवजपेउ), गबन और काले धन का संग्रह हैं।

✔ **कारण–** अत्यधिक लालच, पारदर्शी व्यवस्था की कमी, कड़े कानूनों का अभाव और नैतिक मूल्यों में गिरावट इसके प्रमुख कारण हैं।

✔ **प्रभाव–** गरीबों के हक का मारा जाना।
देश के आर्थिक विकास में बाधा।
योग्य व्यक्तियों के अवसर छिन जाना।

✔ **रोकथाम–** डिजिटल लेन–देन को बढ़ावा देना, सख्त लोकपाल कानून, और बचपन से ही नैतिक शिक्षा प्रदान करना।

➢ **राष्ट्रीय एकता और भ्रष्टाचार का अंतर्संबंध–**

भ्रष्टाचार राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर खतरा है–

✔ **अविश्वास–** जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो आम जनता का शासन और व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है, जिससे देश में असंतोष पैदा होता है।

✔ **असमानता–** भ्रष्टाचार समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को गहरा करता है, जो सामाजिक एकता को तोड़ता है।

✔ **अस्थिरता–** भ्रष्ट व्यवस्था के कारण क्षेत्रीय असंतोष पनपता है, जो अलगाववाद को जन्म दे सकता है।

➢ **वित्तिय भ्रष्टाचार**

● **वित्तीय भ्रष्टाचार** (**Financial Corruption**) का अर्थ है अपने पद या शक्ति का दुरुपयोग करके अनुचित तरीके से धन प्राप्त करना या सार्वजनिक संपत्ति का निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करना। या जब कोई व्यक्ति या संस्था ईमानदारी के सिद्धांतों को ताक पर रखकर पैसों का हेरफेर करती है, तो उसे वित्तीय भ्रष्टाचार कहा जाता है।

● **वित्तीय भ्रष्टाचार (Financial Corruption) के प्रमुख प्रकारः–** वित्तीय भ्रष्टाचार केवल रिश्वत तक सीमित नहीं है, इसके कई रूप होते हैं–

• **गबन (Embezzlement)–** किसी संस्था या सरकार के फंड को निजी उपयोग के लिए अवैध रूप से निकाल लेना।

• **मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering)–** अवैध रूप से कमाए गए धन (काले धन) को वैध स्रोतों के माध्यम से घुमाकर "सफेद" दिखाना।

• **कर चोरी (Tax Evasion)–** अपनी वास्तविक आय को छुपाकर सरकार को देय कर का भुगतान न करना।

• **अंदरूनी व्यापार (Insider Trading)–** शेयर बाजार में गुप्त वित्तीय जानकारी का लाभ उठाकर अवैध मुनाफा कमाना।

• **भाई–भतीजावाद और साठगांठ (Crony Capitalism)–** चहेते व्यापारियों को सरकारी ठेके या बैंक लोन दिलाने के लिए नियमों को ताक पर रखना।

PTS Kherwara

● **अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभाव–**

- **निवेश में कमी–** भ्रष्टाचार के कारण विदेशी निवेशक (FDI) देश में पैसा लगाने से कतराते हैं क्योंकि
- व्यापार की लागत बढ़ जाती है।
- **राजस्व की हानि–** कर चोरी और गबन के कारण सरकार के पास जनकल्याणकारी योजनाओं (शिक्षा,
- स्वास्थ्य) के लिए बजट कम हो जाता है।
- **बाजार में असमानता–** ईमानदार व्यापारियों को नुकसान होता है और भ्रष्ट लोग बाजार पर कब्जा कर
- लेते हैं।
- **महंगाई–** जब उत्पादन की लागत में रिश्वत शामिल होती है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।3.

प्रमुख वित्तीय घोटाले (Case Studies)– भारत में कुछ ऐसे बड़े मामले हुए जिन्होंने वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया–

हर्षद मेहता कांड (1992)– प्रतिभूति (Securities) घोटाले ने बैंकिंग प्रणाली की कमियों को उजागर किया।

- सत्यम घोटाला (2009)– कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का बड़ा उदाहरण।
- 2G स्पेक्ट्रम मामला– प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में वित्तीय अनियमितता।

● **रोकथाम के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा–** भारत में वित्तीय भ्रष्टाचार से निपटने के लिए निम्नलिखित निकाय और कानून कार्य करते हैं–

संस्था/कानून	**मुख्य कार्य**
प्रवर्तन निदेशालय (ED)	मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच।
PMLA (2002)	धन शोधन निवारण अधिनियम, जो काले धन को रोकने का मुख्य कानून है।
SEBI	शेयर बाजार में होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना।
CAG (कैग)	सरकारी खर्चों का ऑडिट करना ताकि वित्तीय अनियमितता का पता चले।
CBI (आर्थिक अपराध विंग)	बड़े स्तर के बैंक फ्रॉड और वित्तीय घोटालों की जांच।

● **नैतिक भ्रष्टाचार (Moral Corruption)** का अर्थ केवल पैसों का लेन–देन नहीं है, बल्कि यह चरित्र और मूल्यों का पतन है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों, ईमानदारी और सामाजिक मर्यादाओं का त्याग कर देता है, तो उसे नैतिक भ्रष्टाचार कहा जाता है। इसे अक्सर 'आत्मा का भ्रष्टाचार' भी कहा जाता है क्योंकि यह समाज की मानसिकता को अंदर से खोखला करता है।

नैतिक भ्रष्टाचार के प्रमुख उदाहरण पैसों के अलावा, नैतिक भ्रष्टाचार इन रूपों में दिखाई देता है–

भाई–भतीजावाद (Nepotism) योग्यता को नजरअंदाज कर अपने रिश्तेदारों या करीबियों को अनुचित लाभ पहुँचाना।

कर्तव्य की उपेक्षा– अपनी जिम्मेदारी को ठीक से न निभाना (जैसे– डॉक्टर का मरीज पर ध्यान न देना या शिक्षक का कक्षा में न पढ़ाना)।

बौद्धिक चोरी (Plagiarism)– किसी दूसरे के विचारों या काम को अपना बताकर पेश करना।

चापलूसी– अपने फायदे के लिए गलत व्यक्ति या गलत बात का समर्थन करना।

दोहरा मापदंड– दूसरों के लिए अलग नियम और खुद के लिए अलग नियम रखना।

◆ **भ्रष्टाचार के प्रभाव–**

भ्रष्टाचार एक संक्रामक बीमारी की तरह है, जिसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की जड़ों को कमजोर कर देता है। भ्रष्टाचार के प्रभाव निम्न है–

1. पीड़ित (Individual Victim) पर प्रभाव

वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का सीधा शिकार होता है, उस पर मानसिक और आर्थिक बोझ सबसे अधिक पड़ता है–

- अधिकारों का हनन– पात्र होने के बावजूद व्यक्ति को उसके कानूनी हक (जैसे राशन, नौकरी या सब्सिडी) नहीं मिलते।
- मानसिक तनाव– बार–बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और अपमानित होने से व्यक्ति में हताशा और व्यवस्था के प्रति गुस्सा पैदा होता है।
- आर्थिक क्षति– अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा रिश्वत में देने के कारण व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस सकता है।

2. परिवार (Family) पर प्रभाव

भ्रष्टाचार केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के भविष्य को प्रभावित करता है–

- जीवन स्तर में गिरावट– जो पैसा बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए था, वह रिश्वत में चला जाता है।
- नैतिक मूल्यों का ह्रास– यदि परिवार का मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और वे भी गलत रास्तों को सामान्य मानने लगते हैं।
- असुरक्षा– भ्रष्टाचार के कारण परिवार को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा (Social Security) कमजोर हो जाती है।

3. समाज (Society) पर प्रभाव–

समाज में भ्रष्टाचार एक गहरे अविश्वास और असमानता को जन्म देता है–

- योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा– मेरिट के बजाय पैसे और पहुंच को महत्व मिलने से समाज में योग्य लोग पीछे छूट जाते हैं।
- सामाजिक असमानता– अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है, जिससे समाज में अपराध और विद्रोह की भावना पनपती है।
- संवेदनहीनता– समाज में यह धारणा बन जाती है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, जिससे लोग अनैतिकता को ही जीवन का हिस्सा मान लेते हैं।

4. राष्ट्र (Nation) पर प्रभाव

एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है–

आर्थिक विकास में मंदी– विदेशी निवेश कम होता है और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँचता है।

- खराब बुनियादी ढांचा– ठेकेदारी में भ्रष्टाचार के कारण सड़कें, पुल और भवन कमजोर बनते हैं, जिससे जान–माल का नुकसान होता है।
- लोकतंत्र का कमजोर होना– जब चुनाव और प्रशासन भ्रष्टाचार से प्रभावित होते हैं, तो आम जनता का लोकतंत्र और न्यायपालिका से विश्वास उठ जाता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा– रक्षा सौदों या सीमा सुरक्षा में भ्रष्टाचार देश की संप्रभुता के लिए घातक हो सकता है।

पुलिस संगठन में भ्रष्टाचार का उन्मुलन

पुलिस संगठन में भ्रष्टाचार एक गहरी और जटिल समस्या है, जो न केवल कानून व्यवस्था को प्रभावित करती है बल्कि आम नागरिक के विश्वास को भी कम करती है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए केवल नियमों में बदलाव काफी नहीं है, बल्कि प्रणालीगत (Systemic), तकनीकी और व्यवहारिक सुधारों की आवश्यकता है। यहाँ पुलिस बल से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय दिए गए हैं–

1. पुलिस सुधार और स्वायत्तता (Police Reforms)

सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के ऐतिहासिक फैसले को लागू करना सबसे जरूरी कदम है।

- **कार्यकाल की सुरक्षा–** पुलिस अधिकारियों का बार–बार और राजनीतिक कारणों से तबादला रुकना चाहिए। एक निश्चित कार्यकाल होने से वे बिना किसी दबाव के काम कर पाएंगे।

PTS Khenwala

- **जांच और शांति व्यवस्था का पृथक्करण–** अपराध की जांच (Investigation) करने वाली टीम और कानून–व्यवस्था (Law & Order) संभालने वाली टीम अलग होनी चाहिए, ताकि जांच में पारदर्शिता रहे।

2. प्रौद्योगिकी का उपयोग (Use of Technology)

भ्रष्टाचार को कम करने में तकनीक सबसे बड़ा हथियार है।

- **ई–एफआईआर (e-FIR)–** छोटी शिकायतों के लिए ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुलिसकर्मी शिकायत दर्ज करने के बदले रिश्वत न मांग सकें।
- **बॉडी–वॉर्न कैमरा–** ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के पास बॉडी कैमरा होना चाहिए, जिससे जनता और पुलिस के बीच होने वाली बातचीत रिकॉर्ड हो सके।
- **डिजिटल भुगतान–** चालान और जुर्माना के लिए केवल डिजिटल मोड (न्च्ध्ब्ंतक) का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. वेतन और कार्यदशा में सुधार

भ्रष्टाचार का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण खराब कार्यदशा और कम वेतन भी है।

- **उचित वेतन–** पुलिसकर्मियों का वेतन उनकी जोखिम भरी ड्यूटी के अनुरूप होना चाहिए ताकि वे आर्थिक लालच में न आएं।
- **कार्य के घंटे–** 12–15 घंटे की लगातार ड्यूटी मानसिक तनाव पैदा करती है। 8 घंटे की शिफ्ट और साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य होना चाहिए।
- **आवास सुविधा–** पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना।

4. जवाबदेही और निगरानी (Accountability)

- **पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA)**– राज्य और जिला स्तर पर स्वतंत्र निकायों का गठन होना चाहिए जहाँ नागरिक पुलिस के खिलाफ बिना डरे शिकायत कर सकें।
- **कठोर दंड–** भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ केवल सस्पेंशन नहीं, बल्कि बर्खास्तगी और कड़ी जेल की सजा का प्रावधान होना चाहिए।

5. भर्ती और प्रशिक्षण में पारदर्शिता

- **नैतिक प्रशिक्षण (Ethics Training)–** पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान नैतिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।
- **भर्ती प्रक्रिया–** भर्ती पूरी तरह से मेरिट और पारदर्शी तकनीक पर आधारित होनी चाहिए ताकि रिश्वत देकर नौकरी पाने की प्रवृत्ति खत्म हो।

<u>केस लॉ– विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2025 INSC 162)–</u> का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर दिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह निर्णय 7 फरवरी, 2025 को जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ द्वारा सुनाया गया।

1. मामले की पृष्ठभूमि–

विहान कुमार को हरियाणा पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) नहीं बताए गए थे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।

2. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (Key Rulings)

न्यायालय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए निम्नलिखित बातें कहीं–

- अनुच्छेद 22(1) की अनिवार्यता– गिरफ्तारी के कारणों को आरोपी को बताना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है।

RTSKherwara

- सीधा संवाद आवश्यक– पुलिस का यह तर्क कि उन्होंने आरोपी की पत्नी को सूचित कर दिया था या केस डायरी में कारण दर्ज थे, पर्याप्त नहीं है। आरोपी को व्यक्तिगत रूप से और उसकी समझ में आने वाली भाषा में कारण बताना अनिवार्य है।

- अवैध गिरफ्तारी– यदि अनुच्छेद 22(1) का पालन नहीं किया जाता, तो गिरफ्तारी शुरू से ही अवैध मानी जाएगी। इसके बाद दिया गया कोई भी श्रिमांड ऑर्डरश उस अवैधता को वैध नहीं बना सकता।
- मानवीय गरिमा (अनुच्छेद 21)रू न्यायालय ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि आरोपी को अस्पताल के बिस्तर से जंजीरों (Handcuffed/Chained) से बांधा गया था। इसे मानवीय गरिमा का उल्लंघन और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन माना गया।

3. न्यायालय के निर्देश–

सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार की तत्काल रिहाई का आदेश दिया और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए कि–

1. गिरफ्तारी के समय आधार बताने के लिए सख्त SOP (Standard Operating Procedure) लागू की जाए।
2. अस्पतालों में विचाराधीन कैदियों को जंजीरों से बांधने या हथकड़ी लगाने की प्रथा को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किए जाएं।

PTS Kherwara

- **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रमुख प्रावधानः–**

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988) के प्रमुख प्रावधानों और उनकी धाराओं का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 2018 के संशोधन के बाद इस कानून को अत्यधिक सख्त बनाया गया है ताकि रिश्वत लेने और देने, दोनों पक्षों पर लगाम लगाई जा सके।

अधिनियम के मुख्य अध्याय और धाराएं

1. लोक सेवक (Public Servant) की परिभाषा – **धारा 2(ब)**

यह अधिनियम केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसमें विधायक, सांसद, स्थानीय निकायों के सदस्य, बैंक कर्मचारी, और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

2. लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना – **धारा 7**

यदि कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कार्य के बदले में श्अनुचित लाभश (रिश्वत) की मांग करता है, स्वीकार करता है या लेने का प्रयास करता है।

सजा– न्यूनतम 3 वर्ष, जो 7 वर्ष तक हो सकती है + जुर्माना।

3. रिश्वत देना भी अब अपराध – **धारा 8 (2018 संशोधन)**

पहले रिश्वत देने वाले को अक्सर गवाह माना जाता था, लेकिन अब रिश्वत देना एक विशिष्ट अपराध है।

अपवाद– यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया है और वह 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट पुलिस या जांच एजेंसी को देता है, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।

4. बिचौलियों द्वारा प्रभाव डालना – **धारा 9**

यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को भ्रष्ट या अवैध तरीके से प्रभावित करने के लिए किसी से रिश्वत लेता है, तो वह इस धारा के तहत दोषी है।

5. बिना प्रतिफल के कीमती वस्तु लेना – **धारा 11**

यदि कोई लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति से कोई कीमती वस्तु (जैसे कार, आभूषण या जमीन) प्राप्त करता है, जिसके साथ उसका आधिकारिक काम चल रहा है, भले ही उसने सीधे रिश्वत न मांगी हो।

6. आपराधिक कदाचार (Criminal Misconduct) – **धारा 13**

यह सबसे गंभीर धाराओं में से एक है। यह तब लागू होती है जब–

धारा 13(1)(a)– लोक सेवक आदतन रिश्वत लेता है।

धारा 13(1)(b)– वह अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) रखता है।

सजा– न्यूनतम 4 वर्ष, जो 10 वर्ष तक बढ़ सकती है।

7. प्रक्रियात्मक प्रावधान (Procedural Provisions)

धारा 17A (जांच के लिए पूर्व मंजूरी)– पुलिस किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कार्यों से जुड़ी जांच तब तक शुरू नहीं कर सकती जब तक कि सक्षम प्राधिकारी (सरकार) से पूर्व अनुमति न मिल जाए।

नोट– रंगे हाथ पकड़े जाने (Trap) के मामलों में यह अनुमति आवश्यक नहीं है।

धारा 19 (मुकदमे की मंजूरी)– अदालत में चार्जशीट दाखिल करने और मुकदमा शुरू करने के लिए सरकार की औपचारिक मंजूरी अनिवार्य है।

धारा 4 (विशेष न्यायाधीश)– इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाता है। अधिनियम के अनुसार, मुकदमे का निपटारा 2 साल के भीतर होना चाहिए (विशेष परिस्थितियों में इसे 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है)।

अधिनियम की विशेषता– "रंगे हाथ पकड़ना" (Trap Procedure)

भ्रष्टाचार के मामलों में साक्ष्य जुटाने के लिए फेनोल्फथलीन पाउडर (Phenolphthalein powder) तकनीक का उपयोग किया जाता है। रिश्वत के नोटों पर यह पाउडर लगाया जाता है, जिसे छूने के बाद आरोपी के हाथ धोने पर पानी गुलाबी हो जाता है, जो अदालत में एक मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण होता है।

PTSKherwara

● **राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971:–**

अनुचित एव अशोभनीय आचरण का कोई सरकारी कर्मचारी किसी नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध के लिए सजा प्राप्त करता है चाहे ऐसा उसके कर्तव्य पालन के दौरान हुआ हो या नही, जनता मे अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करे, जो एक सरकारी कर्मचारी के रुप मे उसके स्तर के लिए अशोभनीय हो किसी प्राधिकारयुक्त व्यक्ति को बिना नाम के या छंद्व नाम से कोई याचिका ,प्रार्थना पत्र भेजता है, ऐसा सिद्ध हो जावे।

नियम – 4 : अनुचित व अशोभनीय आचरण – कोई भी राज्य कर्मचारी जो

- कर्तव्य करते समय या अन्यथा, किसी ऐसे अपराध का दोषी सिद्ध किया गया हो, जो अनैतिक पतन से सलंग्न हो ।
- जनता के बीच ऐसे बेढंगें प्रकार का व्यवहार करें जो, राज्य कर्मचारी होने के नाते उसके पद के लिये अशोभनीय हों ।
- यह सिद्ध हो जावें कि उसने किसी प्राधिकृत व्यक्ति को, बेनाम से या झूंठ नाम से याचिका भेजी हो।
- अनैतिक जीवन व्यतीत करता हो तो वह अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का जिम्मेदार होगा

नियम 4 क. सरकारी आवास का अनाधिकृत अधिभोग – कोई सरकारी कर्मचारी जो,

- सामान्य प्रशासन विभाग या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये प्राधिकरण से अधिक समय तक सरकारी आवास को अधिभोग में रखता हो या,
- सरकारी आवास को अधिभोग मे रखता हो, जबिक पदस्थापन के स्थान पर निर्धारत आवास के सिवाय उसका स्वयं का भवन हो या,
- डाक बंगला, विश्राम गृह, ट्रांजिट होस्टल, पर्यटन गृह आदि सहित सरकारी आवास के अधिभोग से सम्बन्धित नियमो, अनुदेशों आदेशों का उल्लघन करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा ।

नियम 7 – राजनीति तथा चुनाव मे भाग लेना–

- कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल या किसी सगठन का सदस्य नही बनेगा या अन्य प्रकार से उससे सम्बन्द्ध नही होगा ,जो राजनीति मे भाग लेता है और न वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या गतिविधियों मे भाग लेगा न उसकी सहायता के लिए चन्दा देगा और अन्य किसी प्रकार से मदद करेगा ।
- प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि किसी ऐसे आन्दोलन या गतिविधियों मे जो प्रत्य क्ष या अप्रत्यक्ष रुप से विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने करने मे लगा हो उसमे अपने परिवार के किसी सदस्य को भाग लेने ,चन्दा देने या अन्य प्रकार से मदद करने से रोकने का भरसक प्रयास करेगा और जहाँ वह सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे आन्दोलन या गतिविधि मे भाग लेने ,चन्दा देने या अन्य प्रकार से मदद करने से रोकने मे असमर्थ हो ,तो वह इस प्रकार की सचूना राज्य सरकार को देगा ।
- यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कोई दल राजनैतिक दल या कोई सगंठन राजनीति में भाग लेता है या कोई आन्दोलन या गतिविधि उपनियम 2 के क्षेत्र में आती है या नहीं, तो उस पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
- किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव में एक सरकारी कर्मचारी कोई प्रचार नहीं करेगा और इस संबंध मे कोई हस्तक्षेप या अपने प्रभाव का उपयोग नही करेगा परन्तु यह है कि एक

PTS Khelwara

सरकारी कर्मचारी जो ऐसे चुनाव मे मत देने के योग्य है, अपना मत दे सकेगा । परन्तु जहाँ वह ऐसा करे वह इस बात का सकं ेत नही देगा कि वह किसे मत देना चाहता है या मत दिया है।

नियम 9. प्रदर्शन एव हड़ताले – कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे प्रदर्शन मे नही जुटेगा और न उसमे भाग लेगा जो भारत की सार्वभौमिकता और एकता के हितो अन्य राज्यो से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोक व्यवस्थाएँ शालीनता या नैतिकता के विपरीत हो या जिसमे लोकतत्रं का अपमान, मानहानि या किसी अपराध को प्रोत्साहन देना अन्तर्निहित हो या अपनी सेवा किसी भी राज्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से सम्बन्धित किसी मामले के बारे मे किसी प्रकार की हडताल का सहारा नही लेगा और न उसके लिए किसी को उकसाएगा ।

नियम 18 – निजी व्यापार या नियोजन – कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप मे कोई व्यापार या वाणिज्य या कोई अन्य नियोजन, नौकरी नही करेगा परन्तु यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी बिना स्वीकृति के सामाजिक या धार्मिक प्रकार का कोई अवैतनिक कार्य या साहित्यिक कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का सामयिक कार्य कर सकेगा । इस शर्त पर कि उससे उसके सरकारी कर्तव्य मे कोई बाधा न आवे परन्तु यदि सरकार द्वारा निर्देश दिया जाय तो ऐसा कार्य नही करेगा या उसे करना बन्द कर देगा ।

नियम 21 चल–अचल और मूल्यवान सम्पति – प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति या उसकें बाद ऐसें अन्तराल से जों सरकार विनिर्दिष्ट करे अपनी सम्पति एव दायित्वों का निम्न के बारे मे पूरा विवरण सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत करेगा उसके द्वारा उत्तराधिकार मे प्राप्त या उसके स्वय द्वारा अर्जित या उसके द्वारा पटटे या बन्धक पर धारित अचल सम्पति चाहे स्वयं के नाम हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी निर्द्विष्ट प्राधिकारी के ध्यान मे लाए बिना अपने स्वयं के नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई अचल सम्पति, पटटे बन्धक, खरीद, विक्रय, उपहार या अन्य प्रकार से प्राप्त या विसर्जित नही करेगा, परन्तु यह है कि यदि ऐसा कार्य निम्न प्रकार का हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।

सरकारी कर्मचारी के साथ शासकीय कार्यकलाप से सम्बद्व व्यक्ति के साथ या किसी नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी डीलर के द्वारा नही हो । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा स्वय अपने नामों या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम मे धारित जंगम सपति से सम्बन्धित प्रत्येक लेन देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा यदि ऐसी सम्पति का मूल्य ऐसे कर्मचारी की दशा में माह की बेसिक वेतन से अधिक है। सरकार के निर्द्विष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी से ऐसे आदेश मे वर्णित अवधि के भीतर उसके द्वारा या उसकी और या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा जैसा कि उस आदेश मे वर्णित हो धारित या प्राप्त ऐसी चल या अचल सम्पति की पूर्ण एवं सम्पूर्ण स्थिति का विवरण मांगा जा सकता है। ऐसे विवरण में यदि सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चाहा जावे तो उन साधनों या स्त्रोतों का विवरण सम्मिलित होगा जिनसे ऐसे सम्पति प्राप्त की गई। **उपनियम 4** के अतिरिक्त इस नियम के किसी प्रावधान से सरकार अधीनस्थ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के सरकारी कर्मचारियों की किसी श्रेणी को इस प्रावधान से मुक्त कर सकती हैं।

ऐसी छूट **कार्मिक क.3 विभाग** की सहमति के बिना नहीं दी जावेगा।

नियम 26 उतेजनात्मक , नशीले पेयों और पदार्थों का उपभोग– कोई सरकारी कर्मचारी, तत्समय उस क्षेत्र में प्रवृत, लागू नशीले पदार्थों से संबंधी किसी विधि कानून का कठोरता के साथ पालन करेगा अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादक पेय शराब या औषध के प्रभाव में नहीं रहेगा। उचित ध्यान रखेगा कि किसी समय उसका कर्तव्य पालन किसी भी प्रकार से ऐसे पेय शराब या औषध के प्रभाव से प्रभावित न हो न एसे समय के निकट ऐसा पये या औषध लेगा जब कि उसे अपने कार्य पर जाना हेा और उसके मुंह की दुर्गन्ध से या उसके व्यवहार से साधारणतया दूसरों को ऐसा प्रतीत न हो कि उसने कोई पेय या पदार्थ लिया है। किसी ॉराब या मादक पदार्थ के प्रभाव से वह किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जावेगा कोई मादक पये या पदार्थ अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेगा।

PTS Khirwara

➢ **पुलिस कार्य में नैतिक दुविधाः–**

पुलिस कार्य (Policing) में नैतिक दुविधा (Ethical Dilemm) तब उत्पन्न होती है, जब एक पुलिस अधिकारी के सामने दो ऐसे विकल्प हों जिनमें से किसी एक को चुनना कठिन हो, क्योंकि दोनों ही विकल्प किसी न किसी नैतिक मूल्य या कानून से टकराते हैं। भारत में पुलिस अधिकारियों के लिए कुछ प्रमुख नैतिक दुविधाएं निम्नलिखित हैं–

1. विधि का शासन बनाम तत्काल न्याय (Rule of Law vs- Instant Justice)

यह सबसे आम दुविधा है। समाज अक्सर त्वरित न्याय की मांग करता है (जैसे एनकाउंटर या मौके पर सजा)।

दुविधा– क्या एक अपराधी को सजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया (जो लंबी हो सकती है) का पालन किया जाए, या जनभावना को संतुष्ट करने के लिए शॉर्टकट अपनाया जाए?

नैतिक संकट– कानून का पालन करना कर्तव्य है, लेकिन जनता का दबाव और न्याय की भावना अधिकारी को विचलित कर सकती है।

2. आदेश का पालन बनाम अंतरात्मा की आवाज (Orders vs- Conscience)

पुलिस एक अनुशासित बल है जहाँ वरिष्ठों के आदेश मानना अनिवार्य है।

दुविधा– यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी ऐसा आदेश दे जो कानूनी रूप से संदिग्ध या अनैतिक हो (जैसे किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अनावश्यक बल प्रयोग), तो अधीनस्थ क्या करे?

नैतिक संकट– आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता कहलाएगी, और पालन करना अनैतिक या अवैध।

3. गोपनीयता बनाम पारदर्शिता (Confidentiality vs- Transparency)

दुविधा– जाँच के दौरान कितनी जानकारी जनता या मीडिया को दी जानी चाहिए?

नैतिक संकट– अत्यधिक गोपनीयता से पुलिस पर भ्रष्टाचार या पक्षपात का आरोप लगता है, जबकि अत्यधिक पारदर्शिता से जाँच प्रभावित हो सकती है या आरोपी की निजता का उल्लंघन हो सकता है।

4. व्यक्तिगत संबंध बनाम व्यावसायिक कर्तव्य (Personal Relations vs- Professional Duty)

दुविधा– यदि कोई मित्र, रिश्तेदार या प्रभावशाली व्यक्ति कानून तोड़ता है।

नैतिक संकट निष्ठा (Loyalty) और निष्पक्षता (Impartiality) के बीच संघर्ष। क्या अपनों को बचाना सही है या कानून के प्रति वफादार रहना?

5. अधिकारों का संरक्षण बनाम अपराध नियंत्रण (Rights vs- Crime Control)

दुविधा– क्या किसी बड़े आतंकवादी हमले को रोकने के लिए एक संदिग्ध के साथ कठोर व्यवहार (Third Degree) करना नैतिक है?

नैतिक संकट– मानवाधिकारों (Human Rights) की रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा (Public Safety) के बीच संतुलन बनाना। इन दुविधाओं के समाधान के सूत्र (Tools for Resolution) इन स्थितियों से निपटने के लिए एक पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए–

संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality)– हमेशा संविधान और कानून को सर्वोपरि रखें।

गांधी जी का जंतर (Gandhian Talisman)– यह सोचें कि आपके निर्णय का समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

सार्वजनिक हित (Public Interest)– व्यक्तिगत लाभ या दबाव के बजाय व्यापक लोक कल्याण को प्राथमिकता दें।

निष्पक्षता (Objectivity)– बिना किसी भेदभाव के साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें।

महत्वपूर्ण तथ्य– द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने भी पुलिस सुधारों में नैतिकता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया है।

PTS Khorwara

(H)- कानून व्यवस्था के दौरान पुलिस का व्यवहारः–

कानून–व्यवस्था (Law and Order) बनाए रखना पुलिस के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि यहाँ उन्हें एक ही समय में रक्षक और अनुशासक दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। भीड़ नियंत्रण, दंगे या विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस का व्यवहार समाज में उनकी छवि और कानून के इकबाल को निर्धारित करता है। यहाँ कानून–व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिस व्यवहार के मुख्य सिद्धांत और चुनौतियाँ दी गई हैं–

1. न्यूनतम बल का सिद्धांत (Principle of Minimum Force) कानून–व्यवस्था के दौरान पुलिस का सबसे पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग किया जाए।

- **क्रमिक प्रक्रिया–** पहले चेतावनी देना, फिर वॉटर कैनन या आंसू गैस का प्रयोग, और अंत में लाठीचार्ज (वह भी शरीर के निचले हिस्सों पर)।
- **उद्देश्य–** भीड़ को तितर–बितर करना होना चाहिए, न कि उन्हें घायल करना या बदला लेना।

2. निष्पक्षता और तटस्थता (Impartiality)– भीड़ या प्रदर्शनकारी किसी भी धर्म, जाति या राजनीतिक विचारधारा के हो सकते हैं।

- **व्यवहार–** पुलिस को किसी भी पक्ष के प्रति झुकाव नहीं दिखाना चाहिए। उनका व्यवहार केवल कानून के शासन (Rule of Law) से निर्देशित होना चाहिए।
- **दुविधा–** अक्सर राजनीतिक दबाव के कारण निष्पक्ष रहना कठिन हो जाता है, लेकिन एक पेशेवर अधिकारी अपनी तटस्थता बनाए रखता है।

3. धैर्य और आत्म–नियंत्रण (Patience and Self & Control)भीड़ अक्सर उकसावे वाली भाषा या पथराव का सहारा लेती है।

नैतिक व्यवहार– पुलिसकर्मी को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और गुस्से पर काबू रखना चाहिए। भीड़ के उकसावे में आकर किया गया रिएक्शन अक्सर स्थिति को दंगे में बदल देता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता– तनावपूर्ण क्षणों में शांत रहकर निर्णय लेना ही एक अच्छे नेतृत्व की पहचान है। कानून–व्यवस्था के दौरान व्यवहारिक मानक (Standard Operating Procedures)चरण अपेक्षित व्यवहार संवाद (Communication)भीड़ के नेताओं से बात करना और उन्हें कानून की सीमाओं के बारे में समझाना। भीड़ नियंत्रणलोगों की गरिमा का ध्यान रखना, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता। गिरफ्तारी कानून–व्यवस्था बिगड़ने पर की गई गिरफ्तारियों में मानवाधिकारों का पालन करना। मीडिया के साथ व्यवहार सूचनाओं का सही और समय पर आदान–प्रदान करना ताकि अफवाहें न फेलें।

4. मानवीय दृष्टिकोण (Humanitarian Approach)

दंगे या कर्फ्यू जैसी स्थितियों में आम जनता को बुनियादी सुविधाओं (दवा, दूध, आपातकालीन सेवा) की जरूरत होती है।

पुलिस का व्यवहार यहाँ सेवा भाव वाला होना चाहिए। कर्फ्यू के दौरान लोगों की मदद करना पुलिस के प्रति जनता का विश्वास (Public Trust) बढ़ाता है।

5. तकनीक और जवाबदेही

आज के समय में पुलिस का व्यवहार बॉडी वॉर्न कैमरा (Body&worn cameras) और ड्रोन की निगरानी में होता है।

जवाबदेही– हर क्रिया का रिकॉर्ड होना पुलिस को अनावश्यक बल प्रयोग करने से रोकता है और उनके सही कार्यों को सबूत के रूप में पेश करने में मदद करता है।

निष्कर्ष

RTS Kherwara

कानून–व्यवस्था के दौरान पुलिस का व्यवहार लोहे के हाथ लेकिन मखमली दस्ताने (Iron hand in a velvet glove) जैसा होना चाहिए। यानी नियम सख्त हों, लेकिन उन्हें लागू करने का तरीका मानवीय और मर्यादित हो।

(I)- कैदियों के परिवहन के दौरान पुलिस का व्यवहार–

कैदियों के परिवहन (Transportation of Prisoners) के दौरान पुलिस का व्यवहार सबसे अधिक जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण होता है। इस दौरान पुलिस को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ता है– सुरक्षा (Security) ताकि कैदी भाग न जाए, और मानवाधिकार (Human Rights) ताकि कैदी के साथ अमानवीय व्यवहार न हो। यहाँ परिवहन के दौरान अपेक्षित व्यवहार और नियमों का विस्तृत विवरण है–

1. सुरक्षा और मानवाधिकार का संतुलन– परिवहन के दौरान पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा है, लेकिन यह गरिमा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

- **हथकड़ी का प्रयोग** (Handcuffing)– सुप्रीम कोर्ट (प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन) के अनुसार, हर कैदी को हथकड़ी लगाना गलत है। हथकड़ी केवल तभी लगाई जानी चाहिए जब कैदी के भागने या हिंसा करने का प्रबल अंदेशा हो और इसका लिखित कारण रोजनामचा में दर्ज हो।
- **सार्वजनिक प्रदर्शन से बचाव–** कैदी को सार्वजनिक स्थानों (जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड) पर घुमाते समय उसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए। चेहरे को ढकने का अधिकार (यदि आवश्यक हो) और भीड़ से दूरी बनाए रखना पुलिस का नैतिक कर्तव्य है।

2. बुनियादी सुविधाओं का ध्यान– यात्रा कितनी भी लंबी हो, कैदी के प्रति मानवीय व्यवहार अनिवार्य है–

- **भोजन और पानी–** यात्रा के दौरान कैदी को स्वच्छ भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराना पुलिस दल की जिम्मेदारी है।
- **प्राकृतिक आवश्यकताएं** (Sanitation)– शौचालय आदि के उपयोग के लिए सुरक्षित और मर्यादित व्यवस्था करना।स्वास्थ्यरू यदि यात्रा के दौरान कैदी की तबीयत बिगड़ती है, तो निकटतम सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाना अनिवार्य है।

3. नैतिक और व्यवहारिक चुनौतियाँ–

परिवहन के दौरान कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ पुलिस के व्यवहार की परीक्षा होती है–

रिश्तेदारों से मुलाकात– क्या रास्ते में कैदी को उसके परिवार से मिलने देना चाहिए?

नियम– कानूनी तौर पर इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे सुरक्षा में सेंध लग सकती है। यहाँ पुलिस को सख्त लेकिन विनम्र (Firm but Polite) होकर मना करना चाहिए।

भ्रष्टाचार का प्रलोभन– अमीर या रसूखदार कैदी बेहतर सुविधाओं या फोन कॉल के लिए रिश्वत की पेशकश कर सकते हैं।

आचरण– एक पुलिसकर्मी को पूर्ण व्यावसायिक ईमानदारी (Professional Integrity) का परिचय देना चाहिए।

5. सुरक्षा घेरा (Escort Party) का व्यवहार

परिवहन दल (Escort Party) को निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए–

सतर्कता– मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से बचना ताकि ध्यान न भटके।

हथियारों का रखरखाव– अपने हथियारों को सुरक्षित रखना ताकि कैदी उन्हें छीन न सके।

धैर्य– कैदी द्वारा उकसाने या गाली–गलौज करने पर भी हिंसा न करना।

निष्कर्ष

कैदियों का परिवहन केवल एक शारीरिक स्थानांतरण नहीं है, बल्कि यह कानून की शक्ति और न्याय के प्रति सम्मान का प्रदर्शन है। पुलिस का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि कैदी को कानून का डर भी रहे और उसकी मानवीय गरिमा भी सुरक्षित रहे।

PTS Khenwra

(J)- पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस का व्यवहार–

पुलिस हिरासत (Police Custody) के दौरान पुलिस का व्यवहार न केवल कानून की मर्यादा बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि यह एक निष्पक्ष जांच की नींव भी रखता है। हिरासत के दौरान पुलिस का आचरण कठोर अनुशासन और मानवीय संवेदनशीलता का मिश्रण होना चाहिए।
यहाँ हिरासत के दौरान अपेक्षित व्यवहार के मुख्य मानक दिए गए हैं

1. कानूनी और संवैधानिक मर्यादा (Legal Conduct)
हिरासत का मतलब आरोपी को प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि उसे कानून की प्रक्रिया के अधीन रखना है।
सूचित करने का कर्तव्य– गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में विनम्रता से बताना।
24 घंटे की सीमा– बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी को भी 24 घंटे से अधिक हिरासत में न रखना।
परिजनों को सूचना– आरोपी के परिवार या किसी मित्र को उसकी स्थिति और स्थान के बारे में तुरंत जानकारी देना।

2. 'थैली' (Third Degree) **के बजाय 'तर्क'** (Reasoning)
आधुनिक पुलिसिंग शारीरिक हिंसा के सख्त खिलाफ है।
पूछताछ का तरीका– पूछताछ के दौरान आरोपी को डराने–धमकाने के बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव और साक्ष्यों (Evidence) का उपयोग करना चाहिए।

गरिमा का सम्मान– आरोपी चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसे गाली देना या उसके साथ अमानवीय व्यवहार करना पुलिस की छवि को धूमिल करता है।

3. हिरासत में बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन–

हिरासत के दौरान पुलिस की जिम्मेदारी कैदी के अभिभावक (Custodian) जैसी होती हैरू
स्वास्थ्य और चिकित्सा– यदि आरोपी बीमार है या उसे चोट लगी है, तो तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। हर 24 घंटे में मेडिकल जांच करवाना एक अच्छी प्रक्रिया है।
भोजन और स्वच्छता– आरोपी को समय पर भोजन और पानी देना और उसे स्वच्छ वातावरण में रखना।
विश्राम– पूछताछ के बीच में आरोपी को पर्याप्त नींद और आराम देना, ताकि वह मानसिक रूप से स्थिर रहे।

4. पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency)
पुलिस का व्यवहार पारदर्शी होना चाहिए ताकि बाद में झूठे आरोप न लगें–

CCTV की भूमिका– पूछताछ कक्ष और लॉकअप में सीसीटीवी कैमरों का होना और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना।

निरीक्षण मेमो (Inspection Memo)– गिरफ्तारी के समय शरीर पर मौजूद चोटों का विवरण दर्ज करना ताकि बाद में कस्टोडियल टॉर्चर का आरोप न लगे।
निष्कर्ष
पुलिस का व्यवहार न्यूनतम बल, अधिकतम बुद्धिमत्ता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। एक पेशेवर पुलिसकर्मी वह है जो अपराधी से नफरत करने के बजाय अपराध को खत्म करने पर ध्यान दे और कानून की सीमाओं के भीतर रहकर सच सामने लाए।

(K)- यातायात ड्युटी के दौरान पुलिस का व्यवहारः–

यातायात (Traffic) ड्यूटी पुलिस के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक है क्योंकि यहाँ उनका सीधा सामना हर वर्ग की जनता से होता है। यहाँ पुलिस का व्यवहार ही यह तय करता है कि जनता कानून का सम्मान करेगी या उससे डरेगी।
यातायात ड्यूटी के दौरान पुलिस के व्यवहार के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं–

1. संयम और शालीनता (Patience and Politeness)
सड़क पर लोग अक्सर जल्दी में होते हैं और नियम टूटने पर वे तनाव या गुस्से में प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
अपेक्षित व्यवहार– पुलिसकर्मी को अपनी आवाज धीमी और लहजा सख्त लेकिन मर्यादित रखना चाहिए।
नियम– बिना वजह चिल्लाना या अपशब्दों का प्रयोग करना अनुशासनहीनता मानी जाती है।

2. स्पष्ट संवाद (Clear Communication)
जब किसी वाहन को रोका जाए, तो पुलिसकर्मी का व्यवहार पारदर्शी होना चाहिए।
कारण बताना– सबसे पहले रुकने का कारण (जैसे रेड लाइट जंप या हेलमेट न पहनना) स्पष्ट रूप से बताएं।

पहचान– अपनी वर्दी पर नाम की पट्टी (Name Plate) और पहचान पत्र स्पष्ट रखें ताकि जनता में विश्वास बना रहे।

3. भेदभाव रहित कार्रवाई (Impartiality)
सड़क पर हर नागरिक समान है, चाहे वह रसूखदार हो या आम आदमी।

दुविधा– अक्सर वीआईपी (VIP) लोग नियम तोड़ने पर रसूख दिखाते हैं।
नैतिक व्यवहार– पुलिस को बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए।

यातायात प्रबंधन के दौरान व्यवहारिक मानक–

स्थिति	**अपेक्षित व्यवहार**
नियम उल्लंघन पर	वाहन चालक से कृपया कहकर दस्तावेज मांगना और शांत रहकर चालान प्रक्रिया पूरी करना।
आपातकालीन स्थिति	एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता दिलाने के लिए सक्रिय और मददगार व्यवहार।
महिला/बुजुर्ग चालक	उनके प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखाना और उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना।
हादसे के समय	घायलों की मदद करना और भीड़ को नियंत्रित करते समय सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार।

4. तकनीक का उपयोग और पारदर्शिता
आजकल बॉडी वॉर्न कैमरा (Body-worn Cameras) का उपयोग बढ़ रहा है।
व्यवहार पर प्रभाव– जब पुलिसकर्मी को पता होता है कि उसकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है, तो उसका व्यवहार अधिक पेशेवर और संयमित रहता है।
जवाबदेही– यह कैमरा जनता द्वारा लगाए गए गलत आरोपों से पुलिस की रक्षा भी करता है।

5. सेवा और सुरक्षा का भाव
यातायात पुलिस केवल चालान काटने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए है।
मददगार छवि– सड़क पर गाड़ी खराब होने, रास्ता भटकने या किसी दुर्घटना के समय पुलिस का व्यवहार एक मार्गदर्शक (Guide) और सहायक (Helper) जैसा होना चाहिए।

निष्कर्ष

यातायात ड्यूटी के दौरान पुलिस का व्यवहार दृढ़ लेकिन दयालु (Firm yet Kind) होना चाहिए। उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों के मन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और सम्मान पैदा करना होना चाहिए।

(L)- शिकायत के दौरान एफआईआर दर्ज करना है या नहीः–
जब भी कोई व्यक्ति थाने में किसी अपराध की शिकायत लेकर जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है?

prts khetwara

1. अनिवार्य पंजीकरण (Section 173 BNSS, RPR 1965 Rule 5.1& Rajasthan police Act 2007 sec. 31)

के अनुसार, यदि शिकायत किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) से संबंधित है—यानी ऐसे गंभीर अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है एवं पुलिस अधिकारी के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

जीरो एफआईआर (Zero FIR)

साधारण एफआईआर में एक नंबर (जैसे 123/2026) दिया जाता है, लेकिन जीरो एफआईआर में कोई नंबर नहीं दिया जाता, इसे '00' (शून्य) नंबर से दर्ज किया जाता है। यदि अपराध आपके अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) से बाहर हुआ है, तब भी आप एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकते। पुलिस को Zero FIR दर्ज करनी होगी और बाद में उसे संबंधित थाने में ट्रांसफर करना होगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के अनुसार घटना किसी भी थाना ईलाके की हो शिकायत प्राप्त होने पर एफआईआर पंजीबद्ध करना अनिवार्य किया गया है।

ई– एफआईआर (E- FIR)

पुलिस थाना पर यदि किसी पोर्टल या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त होने पर प्रार्थी के 3 दिवस में हस्ताक्षरित कर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करना अनिवार्य है।

प्राथमिक जांचः–

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्ति पर जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक दण्ड के प्रावधान किन्तु 7 वर्ष से कम दण्ड के प्रावधान होने पर अपराध की प्रकृति और गम्भीरता पर विचार करते हुये उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नही हो, पूर्व अनुमति से जांच करेगा जिसे 14 दिवस की अवधी में पूर्ण किया जायेगा।

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014)– सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया गया कि यदि दी गई जानकारी से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। इसमें पुलिस की अपनी मर्जी (Discretion) नहीं चलती।

उक्त फैसले में बताया गया कि, हर मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष श्रेणियों में एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति दी है, ताकि यह देखा जा सके कि अपराध हुआ भी है या नहीं जो निम्न है–

1. पारिवारिक/वैवाहिक विवाद
2. व्यावसायिक विवाद (Commercial Disputes)
3. भ्रष्टाचार के मामले
4. चिकित्सा लापरवाही (Medical Negligence) के मामले
5. ऐसे मामले जहाँ शिकायत दर्ज करने में बहुत ज्यादा देरी (3 महीने से अधिक) हुई हो।

नोट– यह जांच केवल यह पता लगाने के लिए होती है कि मामला संज्ञेय है या नहीं, यह सबूतों की गहराई में जाने के लिए नहीं होती। यह जांच 7 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।

4. यदि पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो क्या करें?

अगर पुलिस अधिकारी शिकायत लेने से मना कर देता है, तो पीड़ित के पास निम्नलिखित कानूनी विकल्प हैं–

SP/SSP को सूचना– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत, आप अपनी शिकायत लिखित रूप में डाक द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को भेज सकते हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (175(3) BNSS)– यदि SP भी कार्रवाई नहीं करते, तो आप वकील के माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दे सकता है।

RTS Khetwara

पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई– धारा 199 (BNSS) के तहत, यदि कोई लोक सेवक कानून द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करता है (विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में), तो उस अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है।

(M)- गिरफतारी के दौरान नैतिक दुविधाः–

जब एक अधिकारी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने (गिरफ्तार करने) का निर्णय लेता है, तो उसके मन में 'कर्तव्य' और 'अंतरात्मा' के बीच युद्ध छिड़ सकता है।

1. कानून की अक्षरशः पालना बनाम न्याय (Letter of Law vs- Spirit of Justice)दुविधा–

कभी–कभी कानून कहता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ कहती हैं कि यह अन्याय होगा। उदाहरण– एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भूख से मजबूर होकर फल चुराए। कानूनी रूप से यह चोरी है, लेकिन नैतिक रूप से क्या उसे अपराधियों के साथ जेल में डालना सही है?

नैतिक मार्ग– यहाँ अधिकारी को न्यूनतम हस्तक्षेप का सिद्धांत अपनाना चाहिए। यदि समझौता संभव हो या चेतावनी से काम चल जाए, तो वह न्याय के अधिक निकट होगा।

2. शक्ति का आनुपातिक उपयोग (Proportionality of Force)दुविधा–

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी विरोध करता है या भागने की कोशिश करता है। पुलिस को कितनी चोट पहुँचाने का हक है?

संकट– क्या आत्मरक्षा या आरोपी को रोकने के नाम पर किया गया बल प्रयोग 'अत्यधिक' (Excessive) है?
नियम– पुलिस का लक्ष्य काबू पाना होना चाहिए, सजा देना नहीं। सजा देने का काम न्यायपालिका का है।

3. सामाजिक कलंक और निर्दोषता का सिद्धांत (Social Stigma vs- Presumption of Innocence) दुविधा– कानून कहता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष है। लेकिन समाज में गिरफ्तारी होते ही व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाता है।

नैतिक संकट– यदि पुलिस किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार करती है, तो उसकी सामाजिक छवि हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है, भले ही वह बाद में निर्दोष छूटे।

समाधान– सुप्रीम कोर्ट की अर्नेश कुमार गाइडलाइंस। जहाँ जरूरी न हो, वहाँ गिरफ्तारी के बजाय नोटिस (35 (3) BNSS) का उपयोग करना नैतिक रूप से सही है।

4. आदेश का पालन बनाम व्यक्तिगत नैतिकता (Orders vs- Conscience) दुविधा– जब ऊपर से (राजनीतिक या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा) किसी को सबक सिखाने के लिए गिरफ्तार करने का दबाव हो, जबकि साक्ष्य कमजोर हों।

नैतिक चुनाव– नौकरी की सुरक्षा या सत्य की रक्षा?

मार्गदर्शन– एक पुलिस अधिकारी का पहला धर्म संविधान है। अवैध आदेशों का पालन करना न केवल अनैतिक है, बल्कि भविष्य में कानूनी रूप से आत्मघाती भी हो सकता है। निर्णय लेने का ढांचा (Ethical Decision&Making Framework)जब भी गिरफ्तारी को लेकर दुविधा हो, तो इन चार पैमानों (4 Pillars) का उपयोग करें– स्तंभ विवरण

1. वैधानिकता (Legality) क्या कानून मुझे इस स्थिति में गिरफ्तारी की अनुमति देता है?

2. आवश्यकता (Necessity)क्या गिरफ्तारी के बिना जांच ठप हो जाएगी या आरोपी भाग जाएगा?

3. न्यूनतम हानि (Least Harm)क्या मैं इस व्यक्ति की गरिमा को कम से कम नुकसान पहुँचाकर कानून का पालन कर सकता हूँ?

4. जवाबदेही (Accountability)क्या मैं कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के कारणों को गर्व से सही साबित कर पाऊंगा?

(N)- चार्जशीट से नाम हटाने पर नैतिक दुविधा–

चार्जशीट (आरोप पत्र) में किसी का नाम शामिल करना या हटाना एक पुलिस अधिकारी के लिए सबसे बड़ी नैतिक अग्निपरीक्षा होती है। यहाँ कानून की शक्ति और व्यक्तिगत ईमानदारी के बीच सीधा टकराव होता है। जब जांच (Investigation) पूरी होती है, तो पुलिस को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत नहीं पाती, तो उसका नाम चार्जशीट से हटाकर (जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन्हें आरोपी नहीं बनाया गया) चार्जशीट में पृथक से डाल दिया जाता है।

1. मुख्य नैतिक दुविधाएं (Key Ethical Dilemmas)

A- **दबाव बनाम न्याय** (Pressure vs- Justice)

अक्सर प्रभावशाली लोग, राजनेता या वरिष्ठ अधिकारी किसी खास व्यक्ति का नाम चार्जशीट से निकलवाने के लिए दबाव डालते हैं। यहाँ दुविधा यह है कि क्या अपनी नौकरी और करियर को जोखिम में डालकर सच का साथ दिया जाए?

B. **सहानुभूति बनाम कर्तव्य** (Empathy vs- Duty)–

कभी–कभी जांच में पता चलता है कि आरोपी ने तकनीकी रूप से अपराध किया है, लेकिन उसकी मंशा बुरी नहीं थी या वह परिवार का इकलौता कमाने वाला है। उसे चार्जशीट से हटाना मानवीय लग सकता है, लेकिन यह कानून के प्रति बेईमानी है।

C- पैसे का प्रलोभन (Corruption)–

यह सबसे बड़ी नैतिक गिरावट है। क्या कुछ पैसों के बदले किसी अपराधी को समाज में खुला छोड़ देना सही है? यहाँ द्वंद्व व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच होता है।

2. चार्जशीट से नाम हटाने का कानूनी आधार

नैतिकता के साथ–साथ पुलिस को कानून का भी पालन करना होता है। नाम केवल तभी हटाया जा सकता है जब–

साक्ष्य का अभाव (Lack of Evidence)– आरोपी के खिलाफ कोई ठोस गवाह या दस्तावेजी सबूत न मिले।

अलबी (Alibi)– आरोपी यह साबित कर दे कि घटना के समय वह उस स्थान पर मौजूद ही नहीं था।

गलत पहचान (Mistaken Identity)– जांच में पता चले कि शिकायतकर्ता ने गलती से किसी और का नाम ले लिया था।

3. गलत तरीके से नाम हटाने के परिणाम (The Risk)

यदि एक अधिकारी अनैतिक तरीके से नाम हटाता है, तो उसे इन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है–

मजिस्ट्रेट की शक्ति– पुलिस की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती। मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट को खारिज कर सकता है और कॉग्निजेंस (संज्ञान) लेकर उस व्यक्ति को दोबारा समन भेज सकता है जिसका नाम पुलिस ने हटा दिया था।

विभागीय जांच– यदि यह पाया गया कि नाम जानबूझकर या मिलीभगत से हटाया गया, तो अधिकारी को सस्पेंशन और जेल तक हो सकती है।

समाज का अविश्वास– जब अपराधी बिना सजा के छूटते हैं, तो पुलिस विभाग की साख खत्म हो जाती है।

4. निर्णय लेने का नैतिक मार्ग (The Ethical Path)

एक ईमानदार अधिकारी को इन तीन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए–

वस्तुनिष्ठता (Objectivity)– केवल फाइल पर मौजूद सबूतों को देखें, चेहरे को नहीं।

PTS Khorwara

साहस (Courage)– यदि सबूत हैं, तो नाम शामिल करेंय यदि नहीं हैं, तो दबाव के बावजूद नाम हटा दें। गलत व्यक्ति को जेल भेजना उतना ही बड़ा पाप है जितना अपराधी को छोड़ना।

पारदर्शिता (Transparency)– केस डायरी में विस्तार से लिखें कि नाम क्यों हटाया गया। स्पष्ट कारण आपकी ईमानदारी का सबसे बड़ा बचाव (Defense) होते हैं।

निष्कर्ष

चार्जशीट से नाम हटाना शक्ति का उपयोग नहीं, बल्कि विवेक का उपयोग है। जैसा कि कानून का सिद्धांत है– भले ही सौ गुनहगार छूट जाएँ, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पुलिस अपनी जांच में ढील देकर जानबूझकर गुनहगारों को रास्ता दे।

➔ कानूनी पुलिसिंग के लिए मानवाधिकारों और नैतिक मानकों के सम्बन्ध में क्या करें और क्या न करें–

कानूनी पुलिसिंग (Lawful Policing) का आधार केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी है। एक पुलिस अधिकारी के लिए मानवाधिकारों और नैतिकता का पालन करना उसकी व्यावसायिकता (Professionalism) की सबसे बड़ी पहचान है।

यहाँ विस्तृत रूप से मानवाधिकारों और नैतिक पुलिसिंग के क्या करें (Dos) और क्या न करें (Don'ts) दिए गए हैं–

1. क्या करें (Dos)– नैतिक पुलिसिंग के सुनहरे नियम–

1. समानुभूति (Empathy) **का परिचय–** पीड़ितों, बच्चों और बुजुर्गों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। आपकी पहली प्राथमिकता पीड़ित को राहत पहुँचाना होनी चाहिए।

2. कानून का शासन (Rule of Law)– प्रत्येक कार्रवाई (तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी) कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करें। अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को कानून पर हावी न होने दें।

3. न्यूनतम बल का प्रयोग (Minimum Force)– बल का प्रयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में करें। उपयोग किया गया बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आनुपातिक (च्तवचवतजपवदंस) होना चाहिए।

4. सूचना का अधिकार– गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण और उसके कानूनी अधिकारों (जैसे वकील से बात करना) के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं।

5. पारदर्शिता– अपनी कार्रवाई का सटीक रिकॉर्ड (ब्ंम क्पंतल) रखें। गिरफ्तारी के समय श्अरेस्ट मेमोश (।ततमेज डमउव) तैयार करें और उस पर किसी विश्वसनीय गवाह के हस्ताक्षर लें।

2. क्या न करें (Don'ts)– मानवाधिकारों का उल्लंघन

1. तीसरे दर्जे (Third Degree) **का प्रयोग–** पूछताछ के दौरान शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देना न केवल अनैतिक है, बल्कि एक गंभीर अपराध भी है। सच्चाई उगलवाने के लिए वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करें।

2. अवैध हिरासत (Illegal Detention)– किसी भी व्यक्ति को बिना आधिकारिक रिकॉर्ड के थाने में न बिठाएं। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करना मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है।

3. पक्षपातपूर्ण व्यवहार– जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर अपनी जांच को प्रभावित न होने दें। किसी के रसूख के आगे झुकना और किसी गरीब को दबाना अनैतिक है।

4. **फर्जी मुठभेड़** (Fake Encounters)– श्त्वरित न्यायश के नाम पर कानून हाथ में लेना हत्या के समान है। पुलिस का काम आरोपी को अदालत तक पहुँचाना है, सजा देना नहीं।

5. **अनावश्यक हथकड़ी–** आरोपी को तब तक हथकड़ी न लगाएं जब तक कि उसके भागने या हिंसा करने का वास्तविक और बड़ा खतरा न हो।

3. विशेष स्थितियों में मानवाधिकार मानक–

स्थिति	क्या करें (Ethical Standard)	क्या न करें (Violation)
महिलाओं की गिरफ्तारी–	सूर्यास्त से पहले और महिला पुलिस की उपस्थिति में।	– रात में गिरफ्तारी या पुरुष पुलिस द्वारा तलाशी
भीड़–	नियंत्रण धैर्य रखें और चेतावनी के बाद ही न्यूनतम बल प्रयोग करें।	– सीधे सिर पर वार करना या बिना चेतावनी फायरिंग करना।
बच्चों से पूछताछ–	बिना वर्दी के और बच्चों के अनुकूल वातावरण में।	– डराना, धमकाना या लॉक–अप में बंद करना।

Case Study on Ethical Behavior-

काल्पनिक परिस्थिति (The Scenario)

इंस्पेक्टर विक्रम एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी हैं। उनके शहर में हिट एंड रन (Hit and Run) की एक दुखद घटना होती है, जिसमें एक बेगुनाह पैदल यात्री की मृत्यु हो जाती है। चश्मदीदों के अनुसार, गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी।

जांच के दौरान, विक्रम को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वह गाड़ी शहर के एक प्रभावशाली राजनेता के बेटे की है। लेकिन जैसे–जैसे जांच आगे बढ़ती है, उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती हैरू वह गाड़ी उस रात राजनेता का बेटा नहीं, बल्कि विक्रम का अपना छोटा भाई श्आर्यनश चला रहा था। आर्यन ने डर के मारे यह बात सबसे छुपाई थी।

आर्यन एक होनहार छात्र है और उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और उनके परिवार की बदनामी होगी। राजनेता विक्रम को फोन करता है और कहता है कि वह इस मामले को रफा–दफा कर दे और किसी अज्ञात व्यक्ति पर आरोप मढ़ दे, बदले में वह विक्रम के भाई को बचा लेगा और विक्रम का प्रमोशन भी करवा देगा।

नैतिक दुविधा (The Ethical Dilemma)

विक्रम के सामने तीन मुख्य चुनौतियां हैंरू

पारिवारिक वफादारी– अपने भाई के भविष्य और परिवार की इज्जत को बचाना।

कानूनी कर्तव्य– एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराधी को सजा दिलाना, चाहे वह कोई भी हो।

प्रलोभन (Corruption)– राजनेता के प्रस्ताव को स्वीकार कर व्यक्तिगत लाभ (प्रमोशन) लेना।

समाधान– एक आदर्श पुलिस अधिकारी का निर्णय

एक नैतिक पुलिस अधिकारी के रूप में, विक्रम को कानून के शासन (Rule of Law) को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सत्यनिष्ठा– विक्रम को तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना चाहिए कि आरोपी उसका भाई है। इसे "Conflict of Interest" (हितों का टकराव) कहा जाता है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उसे खुद को इस जांच से अलग कर लेना चाहिए।

कानून का पालन– उसे अपने भाई को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि गलती छिपाने से अपराध और बड़ा हो जाता है।

न्याय– मृतक के परिवार को न्याय दिलाना विक्रम की पहली जिम्मेदारी है। कानून की नजर में अपराधी केवल अपराधी होता है, रिश्तेदार नहीं।

PTC Kherwara

CHAPTER- 3 POLICE PROCEDURE
Module A-3 FIR and Petition (Day -8 Session- 48)
Paper- 10- B (Soft Skills) (12 Session)

➢ नेगोशिएशन स्किल (Negotiation Skills)

नेगोशिएशन स्किल (Negotiation Skills) का मतलब सिर्फ बहस करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जिससे आप दो अलग–अलग पक्षों के बीच एक सहमति का रास्ता निकालते हैं। चाहे ऑफिस में सैलरी बढ़वानी हो या दुकान पर मोलभाव करना, ये स्किल्स हर जगह काम आती हैं।

पुलिस बल के लिए नेगोशिएशन स्किल (Negotiation Skill) केवल एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, बल्कि यह जीवन रक्षक कौशल (Life & saving Skill) है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में, आपकी जुबान अक्सर आपकी बंदूक से अधिक शक्तिशाली साबित हो सकती है।

1. परिचय– पुलिस के लिए नेगोशिएशन क्यों जरूरी है?

पुलिस का प्राथमिक कार्य श्शांति व्यवस्थाश बनाए रखना है। बल प्रयोग (Force) हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए।

उद्देश्य– स्थिति को शांत करना (De – escalation), सहयोग प्राप्त करना और बिना किसी नुकसान के समाधान निकालना।

उपयोग– बंधक स्थिति (Hostage), आत्महत्या के प्रयास, हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना या संदिग्धों से पूछताछ।

2. पुलिस नेगोशिएशन के मुख्य सिद्धांत (Core Principles)

A- **सक्रिय श्रवण** (Active Listening – सुनने की कला)

ज्यादातर पुलिसकर्मी आदेश देने के आदी होते हैं, लेकिन नेगोशिएशन में आदेश नहीं संवाद काम आता है।

Mirroring: सामने वाले के आखिरी 2–3 शब्द दोहराएं। इससे उन्हें लगता है कि आप उन्हें सुन रहे हैं।

Labeling: उनकी भावनाओं को नाम दें। जैसे– ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यवस्था से बहुत नाराज हैं। यह उनके गुस्से को कम करता है।

B- सामरिक सहानुभूति (Tactical Empathy)

सहानुभूति का मतलब अपराधी का समर्थन करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वह उस समय क्या महसूस कर रहा है और क्यों। जब व्यक्ति को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, तो उसका दिमाग श्लड़ो या भागोश (Fight or Flight) मोड से बाहर आता है।

C- समय का प्रबंधन (Buying Time)

नेगोशिएशन में समय आपका मित्र है। जितना अधिक समय आप बातचीत में बिताएंगे–

अपराधी की उत्तेजना (Adrenaline) कम होगी।

वह तर्कसंगत (Rational) सोचना शुरू करेगा।

आपकी टीम को बैकअप या रणनीति बनाने का समय मिलेगा।

3. कठिन परिस्थितियों के लिए बी.सी.बी. (BCB) फॉर्मूला

एक पुलिस अधिकारी को बातचीत के दौरान इन तीन चरणों का पालन करना चाहिए–

B - Behavior (व्यवहार)– पहले सामने वाले के व्यवहार को देखें। क्या वह हिंसक है या डरा हुआ?

C - Communication (संचार)– शांत और स्थिर आवाज में बात शुरू करें। अपनी आवाज को रेडियो जॉकी की तरह धीमा और गहरा रखें (Late & night DJ voice)।

PTS Khenwara

B - Barrier (बाधा)– समझें कि समझौते में बाधा क्या है? क्या उसे गिरफ्तारी का डर है? क्या उसे किसी ने अपमानित किया है?

4. निष्कर्ष (Conclusion)

एक सफल पुलिस नेगोशिएटर वह नहीं है जिसने अपनी बात मनवा ली, बल्कि वह है जिसने स्थितियों को नियंत्रण में कर लिया बिना किसी खून–खराबे के। पुलिस की वर्दी में आपकी सबसे बड़ी जीत बिना बल प्रयोग के समस्या का समाधान ढूंढना है।

➢ Persuasive (अनुनय) और Verbal Communication (मौखिक संचार)–

पुलिस अधिकारियों के लिए Persuasive (अनुनय) और Verbal Communication (मौखिक संचार) का मतलब केवल बात करना नहीं है, बल्कि यह एक श्ज्बजपबंस ज्ववसश (सामरिक उपकरण) है। इसे अक्सर वर्बल जूडो (Verbal Judo) कहा जाता है, जहाँ आप अपनी बातों का उपयोग किसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं।

1. परिचय–

संवाद एक हथियार के रूप में एक पुलिस अधिकारी के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण उसकी होल्स्टर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग और जुबान में होता है।

Persuasion का अर्थ–

किसी व्यक्ति को बल प्रयोग किए बिना वह करने के लिए राजी करना जो कानून सम्मत और आवश्यक है।

लक्ष्य– स्वैच्छिक अनुपालन (Voluntary Compliance) प्राप्त करना।

2. मौखिक संचार के 3 मुख्य घटक (Vocal Components)

जब आप किसी संदिग्ध या जनता से बात करते हैं, तो केवल शब्द मायने नहीं रखते–

1- Content (शब्द – 7%)– आप क्या कह रहे हैं। कानून की सही जानकारी और स्पष्ट निर्देश।

2- Voice/Tone (आवाज का लहजा – 38%)– आपकी आवाज में अधिकार (Authority) होना चाहिए, लेकिन अहंकार (Arrogance) नहीं। तनावपूर्ण स्थिति में धीमी और स्थिर आवाज (Deep & Calm) सामने वाले के उत्तेजना स्तर को कम करती है।

3- Body Language (गैर–मौखिक – 55%)– आपकी मुद्रा, आंखों का संपर्क और हाथों की स्थिति।

3- 'Persuasion' के 5 चरण (The 5–Step Persuasion Process)

जब कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा हो, तो इस क्रम का पालन करें–

Ask (पूछें)– विनम्रता से निर्देश दें। महोदय, कृपया अपनी कार से बाहर आएं।

Set Context (संदर्भ बताएं)– उन्हें बताएं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं आपसे बाहर आने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी गाड़ी का नंबर संदिग्ध है।

Present Options (विकल्प दें)– उन्हें फायदे और नुकसान बताएं। अगर आप सहयोग करते हैं, तो प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। अगर नहीं, तो मुझे बल प्रयोग या गिरफ्तारी करनी पड़ेगी।

Confirm (पुष्टि करें)– एक आखिरी मौका दें। क्या ऐसा कुछ है जो मैं कह सकता हूँ जिससे आप सहयोग करने को तैयार हो जाएं?

Act (कार्रवाई)– यदि ऊपर के सभी चरण विफल रहते हैं, तो बिना किसी और बहस के कानूनी कार्रवाई (Action) करें।

4. सामरिक तकनीकें (Tactical Techniques)

PTS Kherwara

Empathy vs- Sympathy: सहानुभूति (Sympathy) नहीं, बल्कि सहानुभूति (Empathy) दिखाएं। उन्हें बताएं कि आप उनकी स्थिति को समझ रहे हैं, चाहे आप उनसे सहमत न हों।
उदाहरण– मैं समझ सकता हूँ कि आप इस जुर्माने से परेशान हैं, लेकिन मेरा काम नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

The Power of 'Why': लोगों को क्यों का जवाब देने से उनका प्रतिरोध (Resistance) कम हो जाता है।

Re–direction: यदि कोई आपको गाली दे रहा है या चिल्ला रहा है, तो उस पर प्रतिक्रिया न दें। अपनी बात पर वापस लौटें (Broken Record Technique)।
उदाहरण– महोदय, मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ, लेकिन मुझे आपका लाइसेंस देखना होगा।

5. निष्कर्ष

पुलिसिंग में Persuasive Communication का उपयोग करने का अर्थ कमजोर होना नहीं है, बल्कि स्मार्ट होना है। एक अधिकारी जो अपनी बातों से भीड़ को शांत कर सकता है या अपराधी को आत्मसमर्पण के लिए मना सकता है, वह विभाग के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है।

➢ Counseling people about their personal & family/ property diputes.-

पुलिस विभाग में एक अधिकारी की भूमिका केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक समाज सुधारक और मध्यस्थ (Mediator) के रूप में भी कार्य करता है। व्यक्तिगत और संपत्ति विवादों में सही परामर्श (Counseling) न केवल अपराधों को रोकता है, बल्कि पुलिस के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ाता है।

विषय– व्यक्तिगत और संपत्ति विवादों में प्रभावी परामर्श (Counseling)

1. परिचय– पुलिस का हस्तक्षेप क्यों जरूरी है?

पारिवारिक और संपत्ति के झगड़े अक्सर प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाते हैं। यदि पुलिस समय पर सही परामर्श न दे, तो छोटे विवाद (हत्या), (हत्या का प्रयास) जैसे गंभीर अपराधों में बदल सकते हैं।

उद्देश्य– विवाद का शांतिपूर्ण समाधान (Amicable Settlement) और मुकदमेबाजी (Litigation) को कम करना।

दृष्टिकोण– दंडात्मक (Punitive) के बजाय सुधारात्मक (Restorative) रवैया अपनाना।

2. परामर्श की प्रक्रिया (The Counseling Process)

A- सक्रिय श्रवण (Active Listening)
परामर्श का पहला नियम है– कम बोलना, ज्यादा सुनना।
पक्षकारों को अपनी बात पूरी करने दें। इससे उनका भावनात्मक गुबार निकल जाता है।
तकनीक– मैं समझ सकता हूँ कि इस विवाद ने आपको कितना परेशान किया है। यह वाक्य संवाद का द्वार खोलता है।

B- निष्पक्षता (Neutrality)
एक पुलिस अधिकारी को जज की तरह व्यवहार करना चाहिए।
किसी एक पक्ष की ओर झुकाव न दिखाएं।
विवादित स्थल या थाने के कमरे में दोनों पक्षों को समान महत्व दें।

संपत्ति विवादों का समाधान (Property Dispute Counseling)
संपत्ति के मामलों में भावनाएं कम और कागजात ज्यादा मायने रखते हैं।

PTS Khenwara

दस्तावेजी साक्ष्य– पक्षकारों को कानूनी कागजात (खतौनी, बैनामा, वसीयत) दिखाने को कहें। इससे आधे विवाद वहीं खत्म हो जाते हैं जहाँ एक पक्ष झूठ बोल रहा होता है।

यथार्थवादी परामर्श– उन्हें कोर्ट की प्रक्रिया की लंबी अवधि और खर्च के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि आपस में समझौता करना कोर्ट के चक्कर काटने से बेहतर है।

यथास्थिति (Status Quo)– यदि मामला दीवानी न्यायालय (Civil Court) में है, तो उन्हें कानूनी सीमाओं के बारे में परामर्श दें कि वे मौके पर कोई अवैध निर्माण या कब्जा न करें।

4. पारिवारिक और व्यक्तिगत विवाद (Family & Personal Disputes)

ये विवाद बहुत संवेदनशील होते हैं और इनके समाधान के लिए सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता होती है।

गोपनीयता– ऐसी काउंसलिंग कभी भी भीड़–भाड़ वाले स्थान पर न करें। एक अलग कमरे या शांत कोने का चुनाव करें।

अधिकार बनाम कर्तव्य– पति–पत्नी या पिता–पुत्र के विवाद में उन्हें केवल उनके अधिकार न बताएं, बल्कि उनके कर्तव्य और सामाजिक सम्मान की याद दिलाएं।

बच्चों का भविष्य– यदि विवाद वैवाहिक है, तो बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक प्रभाव को आधार बनाकर उन्हें समझौता करने के लिए प्रेरित करें।

6. सीमाएं– कब परामर्श बंद करें?

पुलिस अधिकारी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह परामर्शदाता है, वकील नहीं।

यदि मामला गैर–शमन योग्य (Non-compoundable) और गंभीर है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

यदि एक पक्ष दूसरे पर शारीरिक हिंसा कर रहा हो, तो तुरंत कानूनी सुरक्षा प्रदान करें।

यदि परामर्श के दौरान शांति भंग होने का खतरा बढ़ जाए।

PTS Khenwara

CHAPTER- 03 POLICE PROCEDURE
Module A-03 FIR and Petition (Day -8 Session- 48)
Paper- 12- A (Ethics and ethical behavior) (02 Session)

बर्किंग से बचें और क्राइम को कम करें, आरोपियों की मदद करें, भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं– (Avoid Burking and minimization of Crime, helping the accused, Curb of corruption)-

पुलिस प्रशिक्षण के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय पुलिसिंग की नैतिकता और कार्यकुशलता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में हमारी छवि इस बात से तय होती है कि हम कानून का पालन कितनी ईमानदारी से कराते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं।

1- Avoid Burking (अपराध छिपाने की प्रवृत्ति से बचें)

'Burking' का तकनीकी अर्थ है–अपराध की सूचना मिलने पर उसे रिकॉर्ड न करना (Non-registration of FIR)।

क्यों होता है?– अक्सर थाने के आंकड़ों को साफ–सुथरा दिखाने या काम के बोझ से बचने के लिए ऐसा किया जाता है।

नुकसान– जब अपराध दर्ज नहीं होता, तो अपराधी निडर हो जाता है और पीड़ित का न्याय से भरोसा उठ जाता है। यह समाज में एक अदृश्य अपराध दर पैदा करता है जो बाद में बड़े विस्फोट के रूप में सामने आती है।

समाधान– * Free Registration: शिकायतकर्ता को डराने के बजाय उसकी बात सुनें और एफआईआर दर्ज करें।

Zero FIR: अधिकार क्षेत्र के विवाद में उलझने के बजाय तुरंत कार्रवाई शुरू करें।

2- Minimization of Crime (अपराध का वास्तविक न्यूनीकरण)

अपराध का न्यूनीकरण कागजों पर आंकड़े कम करना नहीं, बल्कि अपराध के अवसरों को खत्म करना है।

अपराध त्रिकोण (Crime Triangle)– अपराध तभी होता है जब अपराधी, पीड़ित और अवसर मिलते हैं। पुलिस का मुख्य प्रहार अवसर पर होना चाहिए।

निवारक रणनीतियाँ–

Hotspot Patrolling: उन जगहों को चिह्नित करें जहाँ बार–बार अपराध होते हैं और वहां पुलिस की दृश्यता (Visibility) बढ़ाएं।

Community Policing: जनता को अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाएं।

CCTV और लाइटिंग– अंधेरे वाले स्थानों और संवेदनशील मोड़ों पर तकनीकी निगरानी बढ़ाना।

3- Helping the Accused (अभियुक्त की सहायता – कानूनी संदर्भ में)

अभियुक्त की सहायता का मतलब उसे अपराध से बचाना नहीं, बल्कि उसे उसके संवैधानिक अधिकार प्रदान करना है। एक निष्पक्ष जांच ही असली न्याय है।

मानवाधिकारों का सम्मान हिरासत में मारपीट (Custodial Torture) न करना।

विधिक सहायता (Legal Aid)– यदि अभियुक्त गरीब है, तो उसे सरकारी वकील उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करना (अनुच्छेद 39।)।

निष्पक्ष जांच– अभियुक्त द्वारा दिए गए निर्दोषता के साक्ष्यों को भी उतनी ही गंभीरता से जांचना जितना कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को।

गिरफ्तारी के नियम– डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के दिशा–निर्देशों का पालन करना (गिरफ्तारी का मेमो तैयार करना, परिजनों को सूचित करना)।

PTS Khelwara

4- Curbing Corruption (भ्रष्टाचार पर अंकुश)–

भ्रष्टाचार पुलिस विभाग की नींव को खोखला कर देता है। इसे रोकने के लिए शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति आवश्यक है।

नैतिक नेतृत्व– वरिष्ठ अधिकारियों को अपने व्यवहार से उदाहरण पेश करना चाहिए।

प्रक्रिया का सरलीकरण– जितनी अधिक प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी, भ्रष्टाचार की गुंजाइश उतनी ही कम होगी।

लोक शिकायत निवारण– जनता के लिए फीडबैक सिस्टम बनाना। यदि किसी अधिकारी ने पैसे की मांग की है, तो उसकी रिपोर्ट करने का सुरक्षित माध्यम होना चाहिए।

जागरूकता– यह समझना कि भ्रष्टाचार केवल पैसा लेना नहीं है, बल्कि जांच में देरी करना या रसूखदारों का पक्ष लेना भी भ्रष्टाचार है।

- **LGBTQIA+ समुदाय के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता**

1. परिचय (Introduction)

LGBTQIA+ (लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल) समुदाय के सदस्य भी इसी देश के नागरिक हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 21 उन्हें भी वही गरिमा और समानता का अधिकार देता है जो हमें और आपको प्राप्त है।

2. शब्दावली को समझना (Understanding the Terminology)

सहिष्णुता की शुरुआत सही जानकारी से होती है।

यौन रुझान (Sexual Orientation)– यह बताता है कि एक व्यक्ति किसकी ओर आकर्षित होता है (जैसे– गे, लेस्बियन)।

लैंगिक पहचान (Gender Identity)– यह व्यक्ति का आंतरिक अनुभव है कि वह स्वयं को पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में कैसे देखता है।

ट्रांसजेंडर (Transgender)रू वे व्यक्ति जिनकी जन्म के समय निर्धारित पहचान उनके वास्तविक लिंग बोध से अलग होती है।

3. पुलिस की भूमिका और व्यवहारिक सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills)

एक पुलिस अधिकारी के रूप में, आपकी भाषा और व्यवहार न्याय की पहली सीढ़ी है।

नाम और सर्वनाम का आदर– हमेशा व्यक्ति से उनकी पसंद का संबोधन पूछें। यदि वे ट्रांस–महिला के रूप में अपनी पहचान बताते हैं, तो उन्हें मैम या उनके द्वारा बताए गए नाम से ही पुकारें।

पूर्वाग्रहों को त्यागें– अक्सर यह धारणा होती है कि यह समुदाय केवल बधाई मांगने या अपराधों से जुड़ा है। इस रूढ़िवादिता (Stereotype) को तोड़ना अनिवार्य है।

आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज– बात करते समय नजरें चुराना या अनावश्यक मुस्कुराना आपकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। पेशेवर और विनम्र रहें।

4. कानूनी ढांचा और जवाबदेही (Legal Framework)

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019– यह कानून स्पष्ट करता है कि उनके साथ भेदभाव करना दंडनीय अपराध है।

BNS और BNSS के तहत– जैसा कि हमने धारा 173(1) में देखा, हर पीड़ित की सूचना दर्ज करना अनिवार्य है। LGBTQIA+ समुदाय की शिकायतों को तुच्छ मानकर टालना आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का आधार बन सकता है।

गोपनीयता– उनकी पहचान उजागर करना उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

PTS Khenwara

CHAPTER- 03 POLICE PROCEDURE
Module A-03 FIR and Petition (Day -8 Session- 48)
Paper- 01- (BNSS) (12 Session)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

Section 173 of BNSS- संज्ञेय मामलों इत्तला– (1) संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहाँ अपराध किया गया है, किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकेगी, और यदि–

(i) मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसे उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लेखबद्ध किया जाएगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा, और प्रत्येक ऐसी सूचना पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगेय

(ii) इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जाती है, तो उसे तब तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा जब तक कि सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं,

और उसका सार ऐसी पुस्तक में प्रविष्ट किया जाएगा जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करेरू

परंतु यह कि यदि किसी ऐसी महिला द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79, या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने के प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई सूचना दी जाती है, तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी–

परंतु यह और कि–

(क) ऐसी स्थिति में जहाँ वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79, या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने के प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई सूचना उस व्यक्ति के निवास स्थान पर या उस व्यक्ति की पसंद के किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर, किसी दुभाषिया या किसी विशेष शिक्षक (Special Educator), जैसी भी स्थिति हो, की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी;

(ख) ऐसी सूचना के अभिलिखित किए जाने की वीडियो फिल्म (Videography) तैयार की जाएगी;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 183 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले को तत्काल निरूशुल्क दी जाएगी।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अपराध के संबंध में, जिसमें तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम की कारावास की अवधि का दंड है, पुलिस अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के स्तर से कम के अधिकारी की पूर्व अनुमति से, उन मामलों में जहाँ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, ऐसी सूचना प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर–

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई संज्ञेय मामला बनता है, प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) कर सकता है; या

PTS Khetwara

(ख) अन्वेषण (Investigation) के साथ आगे बढ़ सकता है।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है, ऐसी सूचना का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) को भेज सकता है, जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा, और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियाँ होंगी।

इस धारा के महत्वपूर्ण बिंदु–

जीरो एफआईआर (Zero FIR)– "उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहाँ अपराध किया गया है" शब्दों के माध्यम से अब कानूनी रूप से जीरो एफआईआर को मान्यता दे दी गई है।

ई–एफआईआर (e-FIR)– इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने का प्रावधान शामिल किया गया है, बशर्ते 3 दिन में हस्ताक्षर किए जाएं।

प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry)– 3 से 7 साल तक की सजा वाले मामलों में FIR से पहले 14 दिन की जांच का विकल्प पुलिस को दिया गया है।

अनिवार्य वीडियोग्राफी– दिव्यांग पीड़ितों के मामले में वीडियोग्राफी को अनिवार्य बनाया गया है।

- **केस लॉ– ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014)**– सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया गया कि यदि दी गई जानकारी से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। इसमें पुलिस की अपनी मर्जी (Discretion) नहीं चलती।

  उक्त फैसले में बताया गया कि, हर मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करना जरूरी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष श्रेणियों में एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति दी है, ताकि यह देखा जा सके कि अपराध हुआ भी है या नहीं जो निम्न है–

  1. पारिवारिक/वैवाहिक विवाद
  2. व्यावसायिक विवाद (Commercial Disputes)
  3. भ्रष्टाचार के मामले
  4. चिकित्सा लापरवाही (Medical Negligence) के मामले
  5. ऐसे मामले जहाँ शिकायत दर्ज करने में बहुत ज्यादा देरी (3 महीने से अधिक) हुई हो।

  नोट– यह जांच केवल यह पता लगाने के लिए होती है कि मामला संज्ञेय है या नहीं, यह सबूतों की गहराई में जाने के लिए नहीं होती। यह जांच 7 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।

Section 174 of BNSS– असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना और ऐसे मामलों का अन्वेषण (Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases)–

(1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी (SHO) को उस थाने की सीमाओं के भीतर किसी असंज्ञेय अपराध के किए जाने की सूचना मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जाती है, तब वह–

ऐसी सूचना का सार (Substance) ऐसी पुस्तक में दर्ज करेगा जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे; और

I. सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा।
II. सभी मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

PTS Khanwara

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण (Investigation), ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है।
(3) ऐसा आदेश प्राप्त होने पर, कोई भी पुलिस अधिकारी उस अपराध के संबंध में (गिरफ्तारी के बिना वारंट की शक्ति के अलावा) उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग वह किसी संज्ञेय मामले (Cognizable Case) में कर सकता है।
(4) जहाँ किसी मामले का संबंध दो या अधिक अपराधों से है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय (Cognizable) है, वहाँ उस पूरे मामले को संज्ञेय मामला समझा जाएगा, भले ही अन्य अपराध असंज्ञेय हों।

Section 175 of BNSS– संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति–

(1) कोई पुलिस थाना भारसाधक अधिकारी (SHO), मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर के न्यायालय को अध्याय XIV (Chapter XIV) के उपबंधों के अधीन है।

परन्तु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गम्भीरता पर विचार करते हुये, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा।

(2) किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम (Stage) पर इस आधार पर प्रश्नगत (Challenge) नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें वह अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था।
(3) धारा 210 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच, जो आवश्यक समझे, किए जाने के पश्चात तथा इस सम्बन्ध में किए गए निवेदन पर पुर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है।
(4) धारा 210 के अधीन सशक्त, सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरूद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान उत्पन्न हुआ हो, निम्न अध्यधीन–

(क) उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति, और

(ख) लोक सेवक द्वारा किए गए प्रख्यानों जो ऐसी स्थिति की बारे में है जिससे यह घटना अभिकथित हुई, पर विचार करने के पश्चात, अन्वेषण का आदेश कर सकेगा।

केस लॉ– ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र 2025 Live Law (SC) 139

ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 LiveLaw (SC) 139, के बारे में पूछा है। यह 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ) द्वारा दिया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है।

यह फैसला मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट की शक्तियों और FIR दर्ज करने के यांत्रिक आदेशों पर रोक लगाने से संबंधित है।

मामले के मुख्य कानूनी बिंदु (Core Legal Points)

मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक बुद्धि का प्रयोग–

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 175 (3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट को केवल "डाकघर" की तरह काम नहीं करना चाहिए। उसे यह देखना अनिवार्य है कि क्या शिकायत में वास्तव में कोई संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) बनता है।

अपराध के तत्वों की कमी (Lack of Ingredients)–

PTS Khanwara

इस मामले में आरोपी (जो एक पुलिस अधिकारी था) पर धारा 294 (अश्लीलता), 504 (अपमान) और 506 (धमकी) भादस के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि–

केवल गाली–गलौज या अपमानजनक भाषा धारा 294 (अश्लीलता) भादस के दायरे में तब तक नहीं आती जब तक उसमें 'कामुक' या 'भ्रष्ट' करने वाले तत्व न हों।

बिना किसी वास्तविक डर या शांति भंग की संभावना के दी गई धमकी धारा 504 और 506 भादस के लिए पर्याप्त नहीं है।

BNSS 2023 के तहत नई सुरक्षा (New Safeguards)–

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) ने अब मजिस्ट्रेट के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य कर दी हैं–

शिकायतकर्ता को पहले SP (पुलिस अधीक्षक) के पास आवेदन करना होगा।

मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देने से पहले एक प्रारंभिक जांच (Inquiry) कर सकता है।

मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी के उन कारणों पर विचार करना होगा कि उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं की थी।

निर्णय का निष्कर्ष (Conclusion of the Judgment)

सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द (Quash) कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि शिकायत से कोई अपराध स्पष्ट नहीं होता, तो पुलिस जांच का आदेश देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

Section 176 of BNSS– अन्वेषण के लिए प्रक्रिया–

(1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी (SHO) को प्राप्त इत्तिला (Information) से या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह धारा 175 के अधीन सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट तत्काल उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो, तो अपराधी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के उपाय करने के लिए उस स्थान पर स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी को भेजेगा–

परंतु (Proviso)–

(क) जब किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नामजद इत्तिला दी गई है जिसने अपराध किया है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, तब यह आवश्यक न होगा कि थाना भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या किसी अधीनस्थ अधिकारी को भेजेय

(ख) यदि थाना भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा–

परंतु यह और कि (Further Proviso)– बलात्संग (Rape) के अपराध के संबंध में, पीड़िता का कथन, पीड़िता के निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर और जहाँ तक साध्य हो, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता–पिता या संरक्षक या नजदीकी रिश्तेदार या उस क्षेत्र की सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित (Record) किया जाएगा और ऐसा कथन किसी श्रृव्य– दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों, जिसके अंतर्गत मोबाईल फोन भी है, के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में वर्णित मामलों में से प्रत्येक मामले में, थाना भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा, उक्त परन्तु के खंड (ख) में वर्णित मामले में, वह अधिकारी सूचना को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए नियमों द्वारा विहित की जाए, भी तत्काल अधिसूचित करेगा।

(3) किसी ऐसे अपराध के जो 7 वर्ष या अधिक के लिए दण्डनीय बनाया गया है, के होने से सम्बन्धित प्रत्येक इत्तला की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो सम्बन्ध में पांच वर्षों की अवधि

के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए न्याय संबंधी दल अपराध सील पर भेज सकेगा और मोबाईल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनवाएगा।

परन्तु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में न्याय संबंधी सुविधा उपलब्ध नही है वहां राज्ये सरकार जब तक उस मामले के संबन्ध में सुविधा नियोजित नही हो जाती या राज्य द्वारा नही की जाती, अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसुचित कर सकेगी।

Section 177 of BNSS– रिपोर्ट कैसे दी जायेगी–

(1) धारा 176 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे, पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे।

(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी मजिस्ट्रेट को वह रिपोर्ट भेजने के पूर्व, उस पर ऐसे अनुदेश (Instructions) दे सकता है जो वह ठीक समझे और वह ऐसे अनुदेश उस रिपोर्ट पर अभिलिखित (Record) करने के पश्चात उसे बिना विलंब के उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा।

Section 178 of BNSS- अन्वेषण या प्रारम्भिक जांच करने की शक्ति–

मजिस्ट्रेट कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 176 के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति से मामले की प्रारम्भिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्यवाही करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है।

Section 179 of BNSS- साक्षियों की हाजरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति– (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के भीतर रहने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में दी गई इत्तिला से या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति तदनुसार हाजिर होगा–

परंतु (Proviso)– कोई भी पुरुष जो पन्द्रह वर्ष से कम या साठ वर्ष से अधिक आयु का है, या कोई स्त्री या कोई मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति, अपने निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर हाजिर होने के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा।

परन्तु और यह कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने के लिए सहमत है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने वाले व्यक्तियों के उचित खर्चों के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है।

Section 180 of BNSS- पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा– (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, या अन्वेषण करने वाले ऐसे अधिकारी के निवेदन पर कार्य करने वाला कोई अन्य पुलिस अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित पंक्ति से नीचे का न हो, किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे किसी आपराधिक आरोप या शास्ति (Penalty) या समपहरण (Forfeiture) की जोखिम में डालने की है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे उस मामले से संबंधित पूछे।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध (Record) कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है–

RTS Khanwara

परंतु (Proviso)–इस उपधारा के अधीन किया गया कथन दृश्य–श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों (Audio-video electronic means) द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकता है।

परंतु यह और कि (Further Proviso)–
किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 (महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध) के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने के प्रयत्न का आरोप है, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

Section 181 of BNSS- पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग–

(1) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अन्वेषण (Investigation) के दौरान किए गए किसी कथन को, यदि उसे लेखबद्ध किया जाता है, तो उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित (Sign) नहीं किया जाएगा; और न ही ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ही ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग, किसी भी जांच या विचारण (Trial) में, जो ऐसे अन्वेषण के अधीन था, उस समय के लिए प्रवृत्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा

परंतु (Proviso)– जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन ऊपर बताए गए अनुसार लेखबद्ध किया गया है, ऐसी जांच या विचारण में बुलाया जाता है, तब उसके उस कथन के किसी भाग का, यदि वह सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है, उपयोग अभियुक्त द्वारा और अभियोजन की अनुमति से अभियोजन द्वारा भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 148 द्वारा उपबंधित रीति से ऐसे साक्षी के खंडन (Contradiction) करने के लिए किया जा सकता है, और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है।
(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नही समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 के खण्ड (क) के उपबन्धों के भीतर आने वाले किसी कथन को लागु होती है या उस अधिनियम की धारा 23 के उपधारा (2) के परन्तुक के उपबन्धों पर प्रभाव डालती है।

Section 182 of BNSS- कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना– (1) कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकार रखने वाला अन्य व्यक्ति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 22 में यथा–विनिर्दिष्ट कोई ऐसा प्रलोभन (Inducement), धमकी (Threat) या वचन (Promise) न तो देगा और न दिलवाएगा।

(2) किंतु इस धारा की कोई बात अन्वेषण के दौरान इस अध्याय के अधीन किए गए किसी कथन को अपनी स्वतंत्र इच्छा से करने से किसी व्यक्ति को रोकेगी नहीं।

परन्तु इस धारा की कोई बात धारा 183 की उपधारा (4) के उपबन्धों पर प्रभाव नही डालेगी।

Section 183 of BNSS- संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना– (1) जिले का कोई मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में उसे अधिकारिता हो या न हो, अन्वेषण के दौरान या उसके पश्चात, किन्तु जांच या विचारण शुरू होने से पहले, किसी भी कथन या संस्वीकृति को अभिलिखित (Record) कर सकता है।

परन्तु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रृव्य– दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा।
(2) मजिस्ट्रेट संस्वीकृति को अभिलिखित करने से पहले, उस व्यक्ति को यह समझाएगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। मजिस्ट्रेट तब तक ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि उसे यह विश्वास न हो जाए कि वह स्वेच्छा से की जा रही है।

PTC Khelwara

(3) यदि संस्वीकृति दर्ज करने से पहले वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कहता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए तैयार नहीं है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा (Police Custody) में भेजने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा।

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्ष को अभिलिखित के लिए धारा 316 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाऐंगे, और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख का एक ज्ञापन लिखेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।

(6) (क) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 या 124 के अधीन दंडनीय अपराधों में, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का कथन अभिलिखित करेगा जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा अपराध किया गया है, जैसे ही अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है–

परन्तु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरूष मजिस्ट्रेटद्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि ऐसे अपराध से संबंधित मामले में जो दस वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन या मृत्युदण्ड से दण्डनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन अभिलिखित करेगा।

परंतु यदि वह व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, तो मजिस्ट्रेट किसी दुभाषिए या विशेष प्रबोधक (Special Educator) की सहायता लेगा।

परन्तु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी दुभाषिए या विशेष प्रबोधक (Special Educator) की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन, श्रृव्य– दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों, अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है खण्ड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में यथाविनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझाा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।

(7) मजिस्ट्रेट ऐसे कथनों को उस रीति से अभिलिखित करेगा जो साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए विनिर्दिष्ट है और उन्हें उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है।

Section 184 of BNSS- बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा– (1) जहाँ अन्वेषण के दौरान, बलात्संग या बलात्संग के किसी अपराध के किए जाने या किए जाने के प्रयत्न का अन्वेषण किया जा रहा है, वहाँ उस स्त्री का, जिसके विरुद्ध ऐसा अपराध किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है, परीक्षण किसी सरकारी अस्पताल या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल के चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।

(2) वह चिकित्सक जिसके पास ऐसी महिला भेजी जाती है, बिना किसी विलम्ब के, उसके शरीर की परीक्षा करेगा और एक परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे अर्थात–

(i) स्त्री और उसे लाने वाले व्यक्ति का नाम और पता;

(ii) स्त्री की आयु;

(iii) डीएनए (DNA) प्रोफाइलिंग के लिए स्त्री के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण;

(iv) स्त्री के शरीर पर चोट के निशान (यदि कोई हों);

(v) स्त्री की मानसिक और शारीरिक स्थिति का सामान्य विवरण।

(VI) उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां।

(3) रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वे कारण बताए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है।
(4) रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया जाएगा कि ऐसी परीक्षा के लिए महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
(5) रिपोर्ट में उस समय और तारीख का स्पष्ट उल्लेख होगा जब परीक्षण शुरू किया गया और जब समाप्त किया गया।

(6) चिकित्सक सात दिनों के भीतर रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी (IO) को भेजेगा, जो उसे धारा 193 (पुलिस रिपोर्ट) के तहत निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भागरूप में भेजेगा।
(7) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नही लगाया जाएगा कि वह महिला की सहमति के बिना या उसकी और से ऐसी सहमति देने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी परीक्षा को विधिमान्य बनाती है।

Section 185 of BNSS- पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी–

1. तलाशी का अधिकार और आधार (उपधारा 1)

जब किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी (SHO) या किसी मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी (IO) के पास यह विश्वास करने का उचित कारण हो कि–

- किसी अपराध की जाँच के लिए कोई दस्तावेज या चीज आवश्यक है।
- वह चीज उस पुलिस स्टेशन की स्थानीय सीमा के भीतर किसी स्थान पर मिल सकती है।
- और अधिकारी की राय में, वह चीज बिना देरी किए किसी अन्य तरीके (जैसे समन भेजकर) से प्राप्त नहीं की जा सकती।

अनिवार्य शर्त– तलाशी शुरू करने से पहले, अधिकारी को लिखित में (In writing) वे कारण दर्ज करने होंगे कि वह तलाशी क्यों ले रहा है और उसे किस विशिष्ट वस्तु की तलाश है।

2. स्वयं तलाशी लेना (उपधारा 2)

अधिनियम के अनुसार, पुलिस अधिकारी को यथासंभव स्वयं (In person) तलाशी लेनी चाहिए। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

परन्तु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी अधिमान्यतः मोबाइल फोन श्रृव्य– दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी।

3. अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करना (उपधारा 3)

यदि जाँच अधिकारी स्वयं तलाशी लेने में असमर्थ है और उस समय कोई अन्य सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो वह–

- अपने से निचले पद के किसी अधिकारी (Subordinate) को तलाशी के लिए लिखित आदेश देकर भेज सकता है।
- इस आदेश में उस स्थान का पता और उस वस्तु का स्पष्ट विवरण देना होगा जिसकी तलाशी ली जानी है।
- इसके बाद, वह अधीनस्थ अधिकारी उस स्थान की तलाशी उसी प्रकार ले सकता है जैसे वरिष्ठ अधिकारी स्वयं लेता।

4. तलाशी की प्रक्रिया (उपधारा 4)

इस धारा के तहत ली जाने वाली तलाशी पर धारा 103 (BNSS) के नियम लागू होंगे। इसका अर्थ है–

- तलाशी के समय इलाके के दो स्वतंत्र और प्रतिष्ठित गवाहों को बुलाना अनिवार्य है।
- बरामद की गई वस्तुओं की एक जब्ती सूची (Seizure Memo) बनाई जाएगी जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर होंगे।

5. मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड भेजना (उपधारा 5)

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए–

• पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों के रिकॉर्ड की प्रतियां तुरंत किन्तु अडतालिस घण्टों के पश्चात न हो, संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएंगी।

• जिस व्यक्ति के परिसर की तलाशी ली गई है, उसे उस रिकॉर्ड की एक प्रति मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क (Free of cost) दी जाएगी।

Section 186 of BNSS- पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी–वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है–

उपधारा 1–

यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी (SHO) या जाँच अधिकारी (IO) को यह विश्वास है कि जाँच के लिए आवश्यक कोई चीज किसी अन्य थाने की सीमा में स्थित है, तो वह–

उस क्षेत्र के थाना प्रभारी (SHO) चाहे वह उस जिले का हो या दूसरे जिले में हो से लिखित अनुरोध (Requisition) कर सकता है कि वह उस स्थान की तलाशी ले।

उपधारा– 2 जिस अधिकारी से अनुरोध किया गया है, वह– धारा 185 (BNSS) के प्रावधानों के तहत तलाशी लेगा। (यानी कारणों को लिखित में दर्ज करना, गवाहों को बुलाना आदि)। तलाशी में जो भी सामग्री या दस्तावेज प्राप्त होंगे, उन्हें वह उस अधिकारी के पास भेज देगा जिसने अनुरोध किया था।

उपधारा– 3. यह उपधारा पुलिस को विशेष शक्ति देती है। यदि जाँच अधिकारी को लगता है कि दूसरे थाने को सूचित करने या उनकी मदद का इंतजार करने में होने वाली देरी से– साक्ष्य (Evidence) नष्ट हो सकते हैं या हटाए जा सकते हैं, तो वह अधिकारी स्वयं (बिना स्थानीय पुलिस के इंतजार के) उस दूसरे थाने के अधिकार क्षेत्र में जाकर धारा 185 BNSS के उपबन्धों के अनुसार करे या करवाए मानो ऐसा स्थान उसके अपने थाने की सीमाओं के भीतर हो।

उपधारा– 4 यदि अधिकारी ने स्वयं (उपधारा 3 के तहत) दूसरे के क्षेत्र में तलाशी ली है, तो उसे निम्नलिखित कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी– नोटिस तलाशी के तुरंत बाद, उस क्षेत्र के स्थानीय थाना प्रभारी (SHO) को इसकी लिखित सूचना देनी होगी। और ऐसी सूचना के साथ धारा 103 बीएनएसएस के अधीन तैयार की गई सूची की प्रतिलिपि भेजेगा। इन सभी दस्तावेजों की एक प्रति धारा 185 बीएनएसएस की उपधारा 1 एवं 3 में निर्दिष्ट अभिलेखोंकी प्रतिलिपियां उस मजिस्ट्रेट को भी भेजी जाएगी जो उस क्षेत्र का अधिकार रखता है।

उपधारा– 5. जिस व्यक्ति के परिसर (Premises) की तलाशी ली गई है, उसे पुलिस द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड और जब्त सामान की सूची की एक प्रति आवेदन करने पर मुफ्त (Free of cost) प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, जो उपधारा 4 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजा जाए।

Section 187 of BNSS- जब 24 घण्टे के भीतर अन्वेषण पुरा न किया जा सके, तब प्रकिया – (1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरूद्व है और यह प्रतित हो कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा नियत 24 घण्टे की अवधि के भीतर पुरा नही किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधारा है कि अभियोग या सुचना दृढ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उपनिरिक्षक से निम्नतर पंक्ति का नही है तो वह, निकटतम मजिस्ट्रेट को इस में इस के पश्चात विहीत डायरी की मामले में संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के भेजेगा।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधिन भेजा जाता है, इस बात पर यह विचार कीये बिना की क्या उसके पास उस मामले के विचारण की अधिकारीता है या नही, अभियुक्त व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात की क्या ऐसा व्यक्ति जमानत पर नही छोड गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जेसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पुर्णतः या भागतः 15 दिन से अधिक न हो उपधारा 3 में यथा उपबंधित यथा स्थिति, 60 दिन या 90

दिन की उसकी निरूद्व अवधि में से प्रारम्भिक 40 दिन या 60 दिन के दौरान किसी भी समय निरूद्व किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारीता नही है और अधिक निरूद्व रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारीता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है।

(3) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, किन्तु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरोध–

(i) कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नही करेगा जहा अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दण्डनीय है;

(ii) कुल मिलाकर 60 दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नही करेगा जहा अन्वेषण किसी अन्य अपराध के संबंध में है, और, यथास्थिति, 90 दिन या 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड दिया जाएगा और यह समझा जाएगा की इस उपधारा के अधिन जमानत पर छोडा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 35 के प्रयोजनो के लिए उस अध्याय के उपबंधों के अधीन छोडा गया है।

(4) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन कीसी अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नही करेगा जब तक की अभियुक्त उसके समक्ष पहली बार और तत्पश्चात हर बार, जब तक अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में रहता है, व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नही किया जाता है किन्तु मजिस्ट्रेट अभियुक्त के या तो व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में निरोध को ओर बढा सकेगा।

(5) कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायलय द्वारा इस निमित विशेषतया सशक्त नही किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नही करेगा।

स्पष्टीकरण 1– शंकाए दुर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरूद्व रखा जाएगा जब कि वह जमानत नही दे देता है।

स्पष्टीकरण 2– यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि उपधारा 4 के अधिन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पैशी को, यथास्थिति, निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से पेशी के बारे में प्रमाणित आदेश द्वारा साबित किया जा सकता है:

परन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला की दशा में, किसी प्रतिप्रेषण गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में निरोध किये जाने को प्राधिकृत किया जाएगाः

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा के अधिन पुलिस थाना से या न्यायिक अभिरक्षा अधिन कारागार से या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा कारगार के रूप में घोषित किसी स्थान से भिन्न स्थान में निरूद्व नही रखा जाएगा।

(6) उपधारा 1 या उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी , यदि उपनिरिक्षक से निम्नतर पंक्ति का नही है तो, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है, इसमें इसके पश्चात विहीत डायरी की मामले से संबंधित प्रविष्टियो की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट लेखबंध किए जाने वाले कारणो से किसी अभियुक्त व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में निरोध, जैसा वह ठीक समझे, ऐसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर 7 दिन से अधिक न हो और ऐसे प्राधिकत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसे जमानत पर छोड दिया जाएगा, किन्तु उस दशा में नही जिसमें अभियुक्त व्यक्ति के आगे और निरोध के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है जो ऐसा आदेश करने के लिए सक्षम है और जहा ऐसे आगे और निरोध के लिए आदेश किया जाता है वहा वह अवधि जिसके दौरान अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधिन किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशो के अधिन अभिरक्षा में निरूद्व किया गया था, उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने में हिसाब में ली जाएगी :

परन्तु उक्त अवधि की समाप्ति के पुर्व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मामले के अभिलेख, मामले से संबंधित डायरी की प्रविष्टीयों के सहीत जो, यथास्थिति, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाले अधिकाारी द्वारा उसे भेजी गई थी, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा ।

(7) इस धारा के अधिन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

(8) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे, अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणो के सहीत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(9) यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारिख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नही होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी, मजिस्ट्रेट का समाधान नही कर देता है कि विशेष कारणो से और न्याय हीत में 6 मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है।

(10) जहां उपधारा 9 के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है वहां यदि सेशन न्यायधीस का उसे आदेश दिए जाने पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह उपधारा 9 के अधीन दिए गए आदेशों को रद्द कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाएगा।

Section 188 of BNSS- अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट– जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई अन्वेषण करता है तब उस अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा।

Section 189 of BNSS- जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना–

यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण (Investigation) करने वाले पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी (SHO) या अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को जाँच के बाद यह प्रतीत होता है कि– अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य (Sufficient Evidence) नहीं है, या यह मानने का कोई उचित आधार (Reasonable Ground) नहीं है कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, यदि वह अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा (Custody) में है, तो अधिकारी उसे निम्नलिखित शर्तों पर छोड़ देगा– अभियुक्त से एक बंधपत्र (Bond) या जमानत पत्र निष्पादित (Execute) कराया जाएगा। यह बंधपत्र प्रतिभुओं (Sureties) के साथ या उनके बिना (जैसा पुलिस अधिकारी निर्देश दे) हो सकता है। इस बंधपत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि बाद में उसे बुलाया जाए, तो वह उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा जिसे उस अपराध का संज्ञान लेने और विचारण (Trial) करने की शक्ति है।

Section 190 of BNSS- जब साक्ष्य पर्याप्त है, तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना– (1) यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापुर्वक पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अस उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा मे भेजेगा या यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभुति देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष के नियत दिन उसके हाजिर होने के लिए, और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक दिन प्रतिदिन उसकी हाजरी के लिए प्रतिभुति लेगा ।

परन्तु यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नही है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभुति ले सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसे रिपोर्ट भेजी गई है, इस आधार पर की अभियुक्त को अभिरक्षा में नही भेजा गया है, उसे स्वीकृत करने से इनकार नही करेगा।

(2) जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभुति लेता है तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोइ आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश होना आवश्यक हो, भेजेगा और यदि कोई परिवादि हो , तो उस से और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतित होने वाले उतने व्यक्तियों से, जितने वह आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और (यथास्थिति) अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त विरूद्व आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा।

(3) यदि बंधपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायलय उल्लिखित है तो उस न्यायलय के अर्न्तगत कोई ऐसा न्यायलय भी समझा जायेगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परन्तु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सुचना उस परिवादि या उन व्यक्तियों को दे दि गई है

(4) यदि वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बंधपत्र में निष्पादित किया जाता है उस बंधपत्र की एक प्रतिभुति उन व्यक्तियों में से एक को परिदत करेगा जो उसे निष्पादित करता है और तब मुल बंधपत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्टेट के पास भेजेगा।

Section 191 of BNSS- परिवादि और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरूद्व न किया जाना – किसी परिवादी या साक्षी से, जो किसी न्यायलय में जा रहा है, पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाएगी, और न तो उसे अनावश्यक रूप से अवरूद्व किया जाएगा या असुविधा पहुचाई जाएगी और न उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंधपत्र से भिन्न कोई प्रतिभुति देने कि अपेक्षा कि जाएगी

परन्तु यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से, या धारा 190 में निदिष्ट प्रकार का बंध पत्र निष्पादित करने से, इनकार करता है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसे मजिस्टेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरूद्व रक सकता है जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित नही कर देता है या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नही हो जाती है।

Section 192 of BNSS- अन्वेषण में कार्यवाहीयों की डायरी– (1) प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, जिसे वह समय जब उसे इतिला मिलि, वह समय जब उसने अन्वेषण आरम्भ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहा वह गया और अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण होगा।

(2) धारा180 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गये साक्षियों के कथन केस डायरी में अंत :स्थाापित किए जाएगे

(3) धारा 1 में निर्दिष्ट डायरी जिल्द रूप में होगी उसके पृष्ठ सम्यक रूप से संख्याकित होंगे।

(4) कोई दण्ड न्यायलय ऐसे न्यायलय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है, और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में हो तो नहीं किन्तु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोंग में ला सकता है।

(5) न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता , ऐसी डायरियो को मंगाने के हकदार होगे और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखनें के हकदार होगे की वे न्यायलय द्वारा देखी गई है, किन्तु यदि वे उस पुलिस अधिकरी द्वारा, जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मती को ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती

PTS Khetwara

है, या यदि न्यायलय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडण करनें के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की, यथास्थिति , धारा 148 या धारा 164 के उपबन्ध लागु होगे

Section 193 of BNSS- अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट –(1) इस अध्याय के अधीन कीया जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलम्ब के बिना पुरा किया जाएगा।

(2) भारतीय न्याय संहीता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66 धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71 या लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 4, धारा 6, धारा 8, या धारा 10 के तहत किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण उस तारिक से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इतिला अभिलिखित की गई थी, दो मास के भीतर पुरा कीया जा सकेगा

(3)(i) ऐसे ही जांच पुरी होती है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्टेट को, राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में, जिसमें इलेक्टोनिक ससुचना का माध्यम भी है, एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होगी

(क) पक्षकारों के नाम

(ख) इतिला का स्वरूप

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले वाले व्यक्तियों के नाम

(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है तो किसके द्वारा

(ङ) क्या अभियुक्त गिरफतार कर लिया गया है

(च) क्या अभियुक्त अपने बंधपत्र या जमानत पत्र पर छोड दिया गया है

(छ) क्या अभियुक्त धारा 190 के अधीन अभिकक्षा में भेजा जा चुका है,

(ज) जहां अन्वेषण भारतीय न्याय संहीता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा *70 या* धारा 71 के तहत कीसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या महिला की चिकित्सा परिक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।

(झ) इलैक्ट्रॉनिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम,

(ii) पुलिस अधिकारी नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना, किन्ही साधनों द्वारा, जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी है, सूचना देने वाले या पीड़ित को देगा।

(iii) वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना , उस व्यक्ति को, यदि को यदी कोइ हो, जिसने अपराध किए जाने के संबंध मे सर्वप्रथम इत्तिता दी, उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार नियमो द्वारा उपबधित करे

(4) जहा धारा*177 के* अधिन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है वहा ऐसे किसी मामले में, जिसमे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्धारा ऐसा निदेश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से दि जाएगी और वह, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह आगे और अन्वेषण करे।

PTS Khenwara

(5) जब कभी इस धारा *के अधिन* भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतित होता है की अभियुक्त को उसके बंधपत्र या जमानत पत्र पर छोड दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंधपत्र या जमानत पत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा, जैसा वह ठिक समझे।

(6) जब ऐसी रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है, जिसको धारा 190 लागु होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ निम्नलिखित भी भेजेगा :–

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न है जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है,

(ख) उन सब व्यक्तियों के, जिन की साक्षियों के रूप में परिक्षा करने का अभियोजन का विचार है, धारा 180 के अधिन अभिलिखित कथन।

(7) यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है की ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय वस्तु से सुसंगत नही है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हीत में आवश्यक नही है और लोक हित के लिए असमीचीन है तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दि जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देने के लिए निवेदन करते हुए और ऐसा निवेदन करने के अपने कारणो का कथन करते हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(8) उपधारा 7 में अंतरर्विष्ट उपबंधों के अधिन जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी धारा 230 के अधिन यथा अपेक्षित अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक् रूप से सुचिबद्व अन्य दस्तावेजो के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां जो अपेक्षित की जाए, भी प्रस्तुत करेगा।

परन्तु इलैक्ट्रॉनिक ससुचना द्वारा रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजो के प्रदाय को सम्यक रूप से तामिल हुआ माना जाएगा

(9) इस धारा की कोई बात कीसी अपराध के बारे में उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दि जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रवारित करने वाली नही समझी जाएगी तथा ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरीक्त रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहीत प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (3) से उपधारा (8) तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोटों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागु होगी, जैसे वे उपधारा (3) के अधिन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध मे लागु होती हैः

परन्तु विचारण के दौरान और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायलय की अनुज्ञा से संचालित कीया जा सकेगा और जो नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पुरा कीया जाएगा जिसका विस्तार न्यायलय की अनुज्ञा से किया जाएगा।

Section 194 of BNSS- आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना – (1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा उस निमित विशेतया ससक्त किये गये किसी अन्य पुलिस अधिकारी को इतिला मिलती है की किसी व्यक्ति ने आत्म हत्या कर ली है या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जन्तु द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, या कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनसे उचित रूप से यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सुचना देगा और जब राज्य सरकार द्वारा विहीत कीसी नियम द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न हो वह उस स्थान को जाएगा जहा ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है और वह पडोस के दो या अधिक

प्रतिष्ठित निवासीयों की उपस्थिति में अन्वेषण करेगा और मृत्यु के दृश्यमान कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे घावों, अस्थिभंगो, निलो और क्षति के अन्य चिन्हों पर जो शरीर पर पाए जाए, वर्णत होगा और यह कथन होगा की ऐसे चिन्ह कीस प्रकार से और कीस आयुध या उपकरण द्वारा (यदि कोई हो) किए गए प्रतित होते है।

(2) उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतनो द्वारा जो उससे सहमत है, हस्ताक्षर किए जाएगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट को 24 घण्टे के भीतर तत्काल भेज दि जाएगी।

(3) जब–

1 मामले में किसी महीला द्वारा या उसके विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या अतर्वलित है ; या

2 मामला किसी महिला की उसके विभाग के सात वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है जो यह युक्ति युक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है ;या

3 मामला किसी महिला के सात वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है और उस महिला के किसी नातेदार ने उस निमित निवेदन किया हैः या

4 मृत्यु के कारण की बाबत कोई संदेह है; या

5 किसी अन्य कारण पुलिस अधिकारी ऐसा करना समिचिन समझता है,

तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित विहीत किये जाए, वह अधिकारी यदि मौसम ऐसा है और दुरी इतनी है कि रास्तें में शरीर ऐसे सडने के जोखिम के बिना, जिससे उसकी परिक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकता है तो शरीर को उसकी परिक्षा की दृष्टि से, निकटतम सिविल सर्जन के पास या राज्य सरकार द्वारा इस निमित नियुक्त व्यक्ति अन्य अर्हित चिकित्सक के पास भेजगा।

(4) निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु–समीक्षा करने के लिए सशक्त, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित विशेषतया सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

यह धारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 174 के समरूप है।

Section 195 of BNSS- व्यक्तियों को समन करने की शक्ति – (1) धारा 194 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतित होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होने के लिए और उन प्रशनो के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृति उसे अपराधिक आरोप या शास्ति या जप्ती की आशंका में डालने की है, सब प्रशनों का सही सही उत्तर देने के लिए आबद्व होगा :–

PTS Khenwara

परन्तु 15 वर्ष से कम की आयु या 60 वर्ष के आयु के उपर के कीसी व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग या गंभीर बिमारी से ग्रस्त किसी व्यक्ति से, उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है, किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नही कि जाएगीः

परन्तु यह और की यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने में उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए इच्छुक हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 190 लागु है, प्रकट नही होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायलय में उपस्थित न करेगा

Section 196 of BNSS- मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच – जब मामला धारा 194 की उपधारा 3 के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में निदिर्ष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच, पुलिस अधिकारी द्वारा किये जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, व निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु–समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 194 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा; और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होगी, जो उसे कीसी अपराध की जांच करने में होती है।

(2) जहां–

(क) कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या

(ख) किसी महिला के साथ बलातसंग किया गया अभिकथित है,

तो उस दशा में ऐसे व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायलय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, वहां पुलिस द्वारा कि गई जांच या किये गये अन्वेषण के अतिरिक्त ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसकी अधिकारीता की स्थानीय सीमाओ के भीतर अपराध कीया गया है, जाच की जाएगी।

(3) ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात विहीत किसी प्रकार से, मामले की परिस्थियों के अनुसार अभिलिखित करेगा।

(4) जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समिचिन है कि किसी व्यक्ति के, जो पहले ही गाड दिया गया है, मृत शरीर की इस लिए परिक्षा की जाए की उसके मृत्यु के कारण का पता चले तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकेगा और उसकी परिक्षा करवा सकेगा

(5) जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है, वहां मजिस्ट्रेट , जहां कही साध्य है, मृतक के उन नातेदारो को, जिनके नाम और पते ज्ञात है, सुचना देगा और उन्हे जांच के समय उपस्थित रहने को अनुज्ञात करेगा।

(6) उपधारा (2) के अधीन काई जांच या अन्वेषण करने वाला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर उसकी परिक्षा की जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अर्हित चिकित्सा व्यक्ति को, जो इस निमित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, भेजेगा, जब तक की लेखबद्ध किए जाने वाले कारणो से ऐसा करना संभव न हो

prs khelwara

Section 197 of BNSS- जांच और विचारण का साधारण स्थान – प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण साधरणतया पर ऐसे न्यायलय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारीता के भीतर वह अपराध किया गया है।

Section 198 of BNSS- जांच या विचारण का स्थान– (क) जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है; या

(ख) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दुसरे में किया गया है; या

(ग) जहां अपराध चालु रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालु रहता है; या

(घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यो से मिल कर बनता है,

वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारीता रखने वाले न्यायलय द्वारा किया जा सकेगा।

Section 199 of BNSS- अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला– जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारीता के भीतर ऐसी बात की गई या ऐसा परिणाम निकला।

Section 200 of BNSS- जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहां विचाारण का स्थान – जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है, जो स्वंय भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध के करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारीता के भीतर उन दोनो में से कोई भी कार्य किया गया है।

Section 201 of BNSS- कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान – (1) डकैती के, हत्या सहीत डकैती के, डकैतों की टोली का होने के, या अभिरक्षा से निकल भागने के कीसी अपराध की जांच या विचाारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारीता के भीतर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है।

(2) किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारीता के भीतर वह व्यक्ति व्यपहत या अपहत किया गया है या ले जाया गया या छिपाया गया या निरूद्व किया गया हैं।

(3) चोरी, उद्वापन या लुट के किसी अपराध कि जांच या विचारण, ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारीता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपति को , जो कि अपराध का विषय है,

(4) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्याय या भंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानिय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या उस संपति का, जो अपराध का विषय है, कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है या उसका लौटाया जाना लेखा दिया जाना अपेक्षित है।

PTS Khenwara

(5) किसी ऐसे अपराध की, जिसमें चुराई हुई संपति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानिय अधिकारीता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है, जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया या रखे रखा।

Section 202 of BNSS- इलैक्ट्रोनिक संसूचना के साधनो, पत्रो, आदि द्वारा किये गये अपराध – (1) किसी ऐसे अपराध की, जिसमें छल करना भी है, जांच या उनका विचारण , उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना, इलैक्ट्रोनिक सूचना या पत्रों या दुरसंचार संदेशों के माध्यम से कि गई है, ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानिय अधिकारीता के भीतर ऐसी इलेक्ट्रोनिक ससूचना ऐसे पत्र या संदेश भेजे गये है या प्राप्त किये गये तथा छल करने और बेइमानी से संपति का परिधान उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानिय अधिकारीता के भीतर संपति प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त कि गई या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त कि गई है।

(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 82 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारीता के भीतर अपराध किया गया है या अपराधिक में प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है।

Section 203 of BNSS- यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध – यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति, जिसके द्वारा, या वह व्यक्ति जिसके विरूद्व, या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया, किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारीता में होकर या उसके भीतर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान की गई है।

Section 204 of BNSS- एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान – जहां,–

(क) किसी व्यक्ति द्वारा किए गये अपराध ऐसे है कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 242, धारा 243 या धारा 244 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकेगा; या

(ख) कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे है की उनके लिए उन पर धारा 246 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकेगा,

वह अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायलय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधो में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है।

Section 205 of BNSS- विभिन्न सेशन खण्डों में मामलो के विचारण का आदेश देने की शक्ति– इस अध्याय के पुर्ववती उपबंधो में कीसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि ऐसे किन्ही मामलों का या किसी वर्ग के मामलो का विचारण जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके है, किसी भी सेशन खण्ड में किया जा सकता हैः

परन्तु यह तब जब की ऐसा निर्देश उच्च न्यायलय या उच्चतम न्यायलय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवृत कीसी अन्य विधि के अधिन पहले ही जारी किये गये निर्देश के विरूद्व नही है।

Prerna Khelwara

Section 206 of BNSS- संदेह की दशा में उच्च न्यायलय का वह जिला विनिश्चित करना, जिसमें जांच या विचारण होगा – जहां दो या अधिक न्यायलय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते है और यह प्रशन उठता है कि इनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए , वहां वह प्रश्न –

(क) यदि वे न्यायलय एक ही उच्च न्यायलय के अधीनस्थ है तो उस उच्च न्यायल द्वारा;

(ख) यदि वे न्यायलय एक ही उच्च न्यायलय के अधीनस्थ नही है, तो उस उच्च न्यायल द्वारा जिसकी अपीली दाण्डिक अधिकारीता की स्थानीय सीमाओ के भीतर कार्यवाही पहले प्रारम्भ कि गई है,

विनिश्चित किया जाएगा, और तब उस अपराध के संबंध में उन सब कार्यवाहिया बंद कर दी जाएगी।

Section 207 of BNSS- स्थानीय अधिकारीता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारट जारी करने की शक्ति–(1) जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारीता के भीतर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारीता के बाहर (चाहे भारत के भीतर या बाहर) ऐसा अपराध किया है, जिसकी जांच या विचारण धारा 197 से धारा 205 तक की धाराओ (जिनके अन्तर्गत ये दोनो धाराए भी है) , के उपबंधो के अधीन या तत्समय प्रवृत कीसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारीता के भीतर नही किया जा सकता है किन्तु जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है, मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारीता के भीतर किया गया है और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए इसमें इसके पुर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारीता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दण्डनीय नही है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधिन कार्यवाही करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है तो ऐसी अधिकारीता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए बंधपत्र या जमानत पत्र ले सकेगा।

(2) जब ऐसी अधिकारीता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक है और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नही कर पाता है की कीस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या उपस्थित होने के लिए आबद्व किया जाए, को मामले की रिपोट उच्च न्यायलय के आदेश के लिए कि जाएगी।

Section 208 of BNSS- भारत से बाहर किया गया अपराध– जब कोई अपराध भारत से बाहर –

(क) भारत के कीसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्रं पर या अन्यत्र ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नही है, भारत में रजिस्ट्रीकृत कीसी पोत या विमान पर,

किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरूद्व ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है, जहां वह पाया गया है या जहा अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत हैः

परन्तु इस अध्याय की पुर्ववर्ति धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कीसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केन्द्रीय सरकार पुर्व मंजुरी के बिना नही किया जाएगा।

Section 209 of BNSS- भारत से बाहर किये गये अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना– जब किसी ऐसे अपराधा की, जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र मे किया जाना अभिकथित है, जांच या विचारण धारा 208 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है तब, यदि केन्द्रीय सरकार उचित समझे यह निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र मे या उस क्षेत्र के लिए या तो वास्तविक प्ररूप में या इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में न्यायिक अधिकारी के

समक्ष या उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए अभिशाक्ष्यों की या प्रस्तुत किए गए प्रदर्शो की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायलय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायलय ऐसी किन्ही बातों के बारे में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित है साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा।

PTS Kherwara

➢ **सही और गलत तरीके का प्रदर्शन– पीड़ित और शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार करना–**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के तहत, पीड़ित (Victim) और शिकायत के साथ व्यवहार करने के तरीकों में बड़े बदलाव आए हैं।

सही और गलत तरीकों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है– **शिकायतकर्ता के साथ व्यवहार–**

क्र.सं	प्रक्रिया	गलत तरीका	सही तरीका
1	क्षेत्राधिकार	यह कहना कि यह मामला हमारे थाना क्षेत्र का नहीं है, संबंधित थाने जाइए	जीरो एफआईआर अपराध कहीं भी हुआ हो, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। बाद में इसे संबंधित थाने ट्रांसफर करें
2	ई– एफ आई आर	ऑनलाइन शिकायत को नजरअंदाज करना या आवेदक को भौतिक रूप से आने के लिए मजबूर करना	डिजिटल रिकॉर्ड ई–एफआईआर स्वीकार करना। हालांकि, 3 दिन के भीतर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है।
3	प्रारम्भिक जांच	गंभीर अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार) में भी जांच के नाम पर एफआईआर में देरी करना।	BNSS धारा 173(3)– 3 से 7 साल की सजा वाले मामलों में 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी कर तय करना कि मामला बनता है या नहीं।

2. पीड़ित के साथ व्यवहार–

क्र.सं	स्थिति	गलत तरीका	सही तरीका
1	बयान दर्ज करना	पीड़ित को थाने के चक्कर लगवाना या सबके सामने बयान देने पर मजबूर करना	महिला या बच्चों के मामले में बयान उनके निवास स्थान या उनकी पसंद की जगह पर दर्ज करना।
2	सूचना का अधिकारी	पीड़ित को केस की प्रगति के बारे में कोई जानकारी न देना	90 दिनों का नियम– पीड़ित को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति (Progress Report) की सूचना देना अनिवार्य है।
3	चिकित्सा परीक्षण	बलात्कार पीड़िता की सहमति के बिना या पुरुष डॉक्टर द्वारा परीक्षण (बिना महिला उपस्थिति के)।	वीडियो रिकॉर्डिंग– यौन अपराधों में पीड़ित का बयान ऑडियो–वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करना और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में भेजना।

PTS KherWara

- **केस स्टडी– गलत तरीके से मामलों को निपटाने पर पुलिस अधिकारी और पीड़ित पर नकारात्मक प्रभाव–**

काल्पनिक घटना–

एक महिला शिकायतकर्ता "ए" अपने साथ हुई छेड़छाड़ और धमकी की रिपोर्ट करने थाने जाती है। ड्यूटी ऑफिसर उसकी शिकायत सुनने के बाद कहता है, यह घटना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हुई है, आप दूसरे थाने जाइए। साथ ही, वह महिला से कुछ ऐसे निजी सवाल पूछता है जो उसे असहज कर देते हैं।

पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गलतियाँ–

जीरो एफआईआर से इन्कार– अधिकारी ने क्षेत्राधिकार का बहाना बनाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

संवेदनशीलता की कमी– पीड़िता की गोपनीयता और गरिमा का ध्यान नहीं रखा।

वीडियो रिकॉर्डिंग का अभाव– नए नियमों के अनुसार, यौन अपराधों में पीड़िता का बयान वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड करना अनिवार्य था, जो नहीं किया गया।

1. पीड़ित पर नकारात्मक प्रभाव–

न्याय में देरी– दूसरे थाने जाने और फिर से प्रक्रिया शुरू करने में महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुआ, जिससे आरोपी को साक्ष्य मिटाने का मौका मिला।

पुनः प्रताड़ना– पुलिस के खराब व्यवहार के कारण पीड़ित मानसिक तनाव में आ गई और उसने न्याय की उम्मीद छोड़ दी।

सुरक्षा का अभाव– समय पर एफआईआर न होने से आरोपी ने पीड़िता को डराना–धमकाना जारी रखा।

2. पुलिस अधिकारी पर नकारात्मक प्रभाव

नए कानूनों (BNS/BNSS) के तहत इस अधिकारी को निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ा–

BNS की धारा 199 (लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा)रू जानबूझकर एफआईआर दर्ज न करने और कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने के कारण अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

BNS की धारा 72– यदि अधिकारी ने पीड़िता की पहचान या बयान को सार्वजनिक किया, तो उसे भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।

BNSS की धारा 173(4)– जब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, तो अधिकारी के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच शुरू हुई, जिससे उसका प्रमोशन रुक गया और निलंबन हुआ।

सही तरीका क्या होना चाहिए था?

तुरंत पंजीकरण– चाहे घटना कहीं भी हुई हो, जीरो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी।

महिला अधिकारी की उपस्थिति– पीड़िता का बयान महिला अधिकारी द्वारा और एकांत में दर्ज किया जाना चाहिए था।

सूचना का अधिकार– पीड़िता को एफआईआर की एक कॉपी मुफ्त देनी चाहिए थी और उसे 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति की जानकारी देनी चाहिए थी।

निष्कर्ष

गलत तरीके से केस हैंडल करने पर पुलिस अधिकारी न केवल अपनी नौकरी और साख खोता है, बल्कि वह स्वयं अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। वहीं, पीड़ित का कानून पर से विश्वास उठ जाता है, जो समाज के लिए घातक है।

- **नए आपराधिक कानूनों में महत्पूर्ण समय सीमा और पुलिस की भूमिका–**

धारा 35(7) – कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध– 3 साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए, या उन व्यक्तियों के खिलाफ जो अस्वस्थ हैं या जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए, पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी की पहले से अनुमति लेना जरूरी है।

धारा 173(1-B) & E-FIR और सूचना देने वाले का बयान दर्ज करना– इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (e-FIR) से FIR दर्ज करना संभव है। पुलिस को इसे रिकॉर्ड पर लेना होगा, लेकिन सूचना देने वाले को 3 दिनों के भीतर इस पर हस्ताक्षर करने होंगे।

धारा 173(3) – प्रारंभिक जाँच– 3 से 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए, पुलिस एक नियमित FIR दर्ज करने से पहले यह तय करने के लिए प्रारंभिक जाँच कर सकती है कि क्या प्रथम दृष्टया (prima facie) कोई मामला बनता है, यह जाँच एक तय समय सीमा (14 दिन) के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

धारा 183(6-A) – तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी– यह अनिवार्य करता है कि पुलिस तलाशी और जब्ती की कार्यवाही को ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रिकॉर्ड करे। इस इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण के बिना कोई भी आरोप–पत्र मान्य नहीं होगा।

धारा 187 – पुलिस हिरासत (रिमांड)– यह न्यायिक हिरासत के कुल 60 या 90 दिनों में से शुरुआती 40 या 60 दिनों के दौरान, पुलिस हिरासत (रिमांड) को अलग–अलग हिस्सों में मंजूरी देने की अनुमति देती है। इससे पुलिस को हिरासत पाने में ज्यादा लचीलापन मिलता है, बजाय इसके कि जैसा पुरानी CrPC में था, सिर्फ पहले 15 दिनों के भीतर ही हिरासत मिल सके।

धारा 193(3) और 193(3–2) – जाँच की जानकारी और आगे की जाँच– पीड़ित को जानकारी– पुलिस को 90 दिनों के भीतर पीड़ित/शिकायतकर्ता को जाँच में हुई प्रगति के बारे में बताना होगा। आगे की जाँच– अगर चार्जशीट (पुलिस रिपोर्ट) दायर कर दी गई है, तो 90 दिनों के भीतर आगे की जाँच की जा सकती है, लेकिन 90 दिनों से ज्यादा समय के लिए जाँच बढ़ाने के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी।

PTS Khetwara

CHAPTER- 03 POLICE PROCEDURE
Module A-03 FIR and Petition (Day -8 Session- 48)
Paper- 04- (BSA) (04 Session)

धारा 4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023– एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति– जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार संबंद्ध हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।

दृष्टान्त

(क) ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पीटाई के समय या उसे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात् कहा गया था या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया हैं, वह सुसंगत तथ्य है।

(ख) क एक सशस्त्र विद्रोह में भाग लेकर, जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौज और आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरूद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यो का घ ाटित हाने साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो।

(ग) क एक पत्र में, जो किसी पत्राचार का भाग हैं, अन्तर्विष्ट अपमान–लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान–लेख उद्भूत हुआ है, उससे सम्बन्धित पक्षाकारों के बीच जितने पत्र उस पत्राचार के भाग हैं जिसमें वह अन्तर्विष्ट है, वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान–लेख स्वयं अन्तर्विष्ट न हो।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या ख से आदेशित अमुक माल क को दिया गया था। वह माल, अनुक्रमः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया था। प्रत्येक परिदान सुसंगत तथ्य है।

धारा 5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023– वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं– वे तथ्य सुसंगत हैं, जो सुसंगत तथ्यो के या विवाद्यक तथ्यो के आसन्न या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं, या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं, जिसके अर्न्तगत वे घटित या जिसने उनके घटित होने या संव्यवहार का अवसर दिया।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोडी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले मे गया, और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उसने इस तथ्य का कि उसके पास धन है, उल्लेख किया।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की। उस स्थान पर जहा हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम–गुत्था होने से बने हुऐ चिह्न सुंसगत तथ्य हैं।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य के दशा और क को ज्ञात ख कि वे आदते, जिनसे विष देने का असर मिला, सुंसगत तथ्य है।

धारा 6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023– हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण– (1) कोई भी तथ्य, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुंसगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुंसगत है।

(2) किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार के अभिकर्त्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे मे आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरूद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात् का।

स्पष्टीकरण 1– इस धारा में '' आचरण '' शब्द के अर्न्तगत कथन नही आते, जब तक कि वे कथन उन कथनो से भिन्न कार्यो के साथ–साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो, किन्तु इस अधिनियम कि किसी अन्य धारा अधीन उन कथनो की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पडेगा।

स्पष्टीकरण 2– जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता हैं, सुसंगत हैं।

दृष्टान्त

(क) ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य कि क ने ग की, जिसको ख जानता था कि क ने ग हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को सार्वजनिक करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत हैं।
(ख) क बन्धप्रत्र के आधार पर धन के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात से इंकार करता है कि उसने बन्धप्रत्र लिखा। यह तथ्य कि उस समय, जब बन्धप्रत्र लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन की आवश्यकता थी, सुसंगत है।
(ग) विष द्धारा ख कि हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि ख कि मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था।
(घ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की वसीयत है। ये तथ्य अभिकथित वसीयत की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों कि जांच की थी, जिनसे अभिकथित वसीयत के उपबन्धों का सबंन्ध है, कि उसने वह वसीयत करने के बारे में अधिवक्ताओं से परामर्श किया और उसने अन्य वसीयतों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने अनुमोदित नही किया, सुसंगत है।
(ङ) क किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या उसके पश्चात् क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबंध किया जिसकी प्रवृति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हो या उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया या कि उन व्यक्तियों की, जो साक्षी हो सकते थे, उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके सम्बन्ध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत हैं।
(च) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख लूटा। ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात् ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ''ख को लूटने वाले व्यक्ति को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, '' और यह कि उसके तुरन्त पश्चात् क भाग गया, सुसंगत है।
(छ) प्रश्न यह है कि क्या ख प्रति क दस हजार रूपये का देनदार है। यह तथ्य कि क ने ग से धन उधार माँगा और कि घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवणगोचरता में कहा कि '' मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा मत करो क्योकि वह ख के प्रति दस हजार रूपये देनदार है,'' और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया, सुसंगत है।
(ज) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया। यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के पश्चात् जिसमें क को चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जाँच कि जा रही है, फरार हो गया और उस पत्र कि अन्तर्वस्तु, सुसंगत हैं।
(झ) क किसी अपराध का अभियुक्त है। ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के लिए जाने के पश्चात् क फरार हो गया या उस अपराध से अर्जित सम्पत्ति या सम्पत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं कों, जिनसें वह अपराध किया गया था, या किया जा सकता था, छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत हैं।
(ञ) प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया। यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात् क ने अपराध के बारे मे परिवाद किया, वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन और वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत है। यह तथ्य कि क ने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, इस धारा क अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। यद्यपि वह धारा 26 के खण्ड (क) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 160 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हों सकता है।
(ट) प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया। यह तथ्य कि अभिकथित लुट के तुरन्त पश्चात क ने अपराध के सम्बन्ध मे परिवाद किया, वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन और वे शब्द, जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत है। यह तथ्य कि क ने कोई परिवाद किए बिना कहा गया कि मुझे लूटा गया है इस धारा के अधीन आचरण के रूप मे सुसंगत नही है, यद्यपि वह धारा 26 के खण्ड (क) के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा 160 अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता हैं।

धारा 7. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023– विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पूरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य– वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक है या जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्धारा सुझाए गए अनुमान का समर्थन या खण्डन करते है, या जो किसी वस्तु या व्यक्ति की, जिसकी पहचान सुसंगत है, पहचान स्थापित करते है, या वह समय या स्थान नियत करते है जब या जहाँ कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ, या जो उन

पक्षकारो का सम्बन्ध दर्शित करते है जिनके द्धारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहा तक सुसंगत है जहा तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की वसीयत है। अभिकथित विल की तारिख पर क की सम्पत्ति की अवस्था और उसके कुटूम्ब की अवस्था सुसंगत हो सकेगी।

(ख) क निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान–लेख प्रकाशित हुआ था, विवाद्यक तथ्यो की पुर :स्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकेगा। क और ख के बिच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियां, जो अभिकथित अपमान –लेख से असंबद्ध है, विसंगत है, यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद, यदि उससे क और ख के बिच सम्बन्धों पर प्रभाव पडा है, सुसंगत हो सकेगा।

(ग) क किसी अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि, उस अपराध के लिए किए जाने के तुरन्त पश्चात् क अपने घर से फरार हो गया, धारा 6 के अधीन विवाद्यक तथ्यो के पश्चात्वर्तीत और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। यह तथ्य कि उस समय, जब वह घर से चला गया था, क का उस स्थान में, जहा वह गया था, अचानक और अति–आवश्यक कार्य था, अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृति रखने के कारण सुसंगत है। जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नही है, सिवाए इसके कि जहा तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक है की वह काम अचानक और अति–आवश्यक था।

(घ) क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए ग को उत्प्रेरित करने के कारण ख पर क वाद लाता है। क की सेवा को छोडते समय क से ग कहता है कि '' मैं तुम्हे छोड रहा हूँ क्योकि ख ने मुझे तुमसे अधिक प्रस्थापना की है। '' यह कथन ग के आचरण को, जो विवाद्यक तथ्य के रूप में सुसंगत है, स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(ङ) चोरी का अभियुक्त चुराई हुई सम्पत्ति ख को देते हूए देखा जाता है, जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। ख उसे परिदान करते हुए कहता है कि '' क ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो ''। ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(च) बलवा करने के लिए क का विचारण किया जा रहा है और भिड का नेतृत्व करते हुए उसक चलना साबित हो चुका है। भीड की आवाजे, इस संव्यवहार कि प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण सुसंगत है।

धारा 8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023– सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यन्त्रकारी द्धारा कही गई या की गई बाते – जहां यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध या वादयोग्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यन्त्र किया है, वहा उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्धारा उस समय के पश्चात्, जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही गई, की गई, या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होने इस प्रकार षड्यन्त्र किया है, षड्यन्त्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजन करने के लिए कि ऐसा व्यक्ति उसका पक्षकार था।

धारा 131. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023– अपराधों के करने के बारे में सूचना– कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह कहने के लिए विवश नही किया जाएगा कि किसी अपराध के लिए जाने के बारे में उसे कोई सूचना कब मिली और किसी भी राजस्व अधिकारी को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोग राजस्व के विरूद्ध किसी अपराध के लिए जाने के बारे में कोई सूचना कब मिली।

स्पष्टीकरण– इस धारा में ''राजस्व अधिकारी'' से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारबार में या उसके बारे में नियोजित अधिकरी अभिप्रेरित है।

➢ **केस– लॉ– रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य AIR 1997 SC 768-**

यह मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) के तहत मृत्युपूर्व कथन (Dying Declaration) और धारा 6 (Res Gestae) के सिद्धांतों को समझने के लिए एक बुनियादी स्तंभ माना जाता

है। 1997 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि "मृत्यु की परिस्थितियों" का दायरा कितना व्यापक हो सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि (Facts of the Case)–

घटना रात के समय की थी। मृतका (कांता देवी) अपने आंगन में सो रही थी, तभी उसे गोली मार दी गई। गोली लगने के तुरंत बाद वह चिल्लाई। जब उसके परिवार वाले दौड़कर आए, तो उसने मरते हुए कहा– **"रतन सिंह बंदूक लेकर खड़ा है!"** इसके कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और कानूनी सिद्धांत–

न्यायालय ने इस मामले में दो प्रमुख कानूनी बिंदुओं पर मुहर लगाई–

1. मृत्युपूर्व कथन (Dying Declaration)–

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 – BSA की धारा 26– वे दशाऐं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता– बचाव पक्ष का तर्क था कि यह कथन मृत्यु के "कारण" के बारे में नहीं है, बल्कि केवल अभियुक्त की उपस्थिति के बारे में है।

न्यायालय का तर्क– कोर्ट ने कहा कि "मृत्यु की परिस्थितियाँ" शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। यदि कोई कथन उस घटना से जुड़ा है जिसके कारण मृत्यु हुई, तो वह स्वीकार्य है। मृतका का यह कहना कि रतन सिंह वहां बंदूक के साथ खड़ा था, उसकी हत्या की परिस्थितियों का हिस्सा माना गया।

2. एक ही लेनदेन का हिस्सा (Res Gestae)–

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 – BSA की धारा 4– एक संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति)– न्यायालय ने माना कि मृतका का चिल्लाना और अभियुक्त का नाम लेना घटना के इतने करीब था कि उसमें बनावट (Fabrication) की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए इसे 'रेस जेस्टे' के तहत भी साक्ष्य माना गया।

इस केस का मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaway)

सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए यह जरूरी नहीं है कि मृतक को अपनी मृत्यु का निश्चित पूर्वानुमान (Expectation of Death) हो। यदि बयान मौत की घटना से सीधा संबंधित है, तो वह अदालत में मान्य है।

PTS Khanwara

CHAPTER- 03 POLICE PROCEDURE
Module A-03 FIR and Petition (Day -8 Session- 48)
Paper- 13- (Practical (Hands on)) (12 Session)

प्रायोगिक (हैण्डस ऑन)–

निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रशिक्षणार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है–

1. प्रार्थी की रिपोर्ट लेखन,
2. परिवादी के कथन लेखन,
3. जांच रिपोर्ट लेखन,
4. याचिका और आवेदन को अद्यतन करना ,
5. रसीद जारी करना,
6. वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करना,
7. इस्तगासा बनाना।

PTS Kherwara